उन्नति विचार

वर्ष : 7 अंक : 3 जुलाई-सितंबर, 2002

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
अनौपचारिक क्षेत्रः अर्थ, समस्यायें और समाधान

आपके लिए 9
टिकाऊ विकास की पड़ताल करता पृथ्वी शिखर सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 15

अपनी बात 19
पर्यावरणीय लोक सुनवाई

गतिविधियां 24

संदर्भ सामग्री 26

अपने बारे में 29

संपादकीय टीमः
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

टिकाऊ विकास की समीक्षाः वैश्विक बनाम स्थानीय

हाल ही में जोहानिसबर्ग में टिकाऊ विकास के विषय में आयोजित शिखर सम्मेलन ने वैश्विक मंत्रणा और नीति विषयक निवेदन तथा स्थानीय वास्तविकता के बीच की खाई के बारे में गहन चिंता व्यक्त की है। सन् १९९२ के रियो सम्मेलन के बाद ऐसी अपेक्षा थी कि यह सम्मेलन कार्यलक्ष्यी योजना तथा अंतिम तिथियां तय करे। यद्यपि उसमें से अत्यंत संदिग्ध इरादों की असंख्य अभिव्यक्तियां उभर आई हैं। सम्मेलन की जो उपलब्धियाँ प्राप्त हुई, वे इस प्रकार हैं: (१) सन् २०२० तक १० करोड़ झोंपड़वासियों का जीवन सुधारना (२) सन् २०१५ तक शुद्ध पेयजल और सफाई की सुविधाएँ मुहैया कराना (३) सन् २०१५ तक महासागरों में मछलियों की संख्या फिर से बढ़ाना (४) सन् २०१० तक एच.आई.वी. का प्रसार लगभग २५ प्रतिशत घटाना (५) सन् २०१० तक जैव-विविधता की हानि में अत्यंत कमी लाना।

टिकाऊ विकास साकार करने के लिए लोगों को उनके अधिकारों के संरक्षण की सत्ता दी गई है। हालांकि गरीबी के उन्मूलन हेतु 'वर्ल्ड सोलिडेरिटी फंड' स्थापित किया गया, पर उसमें दुनिया के देशों का योगदान स्वैच्छिक रखा गया है। इस कारण से उसमें जरूरी धन इकठ्ठा होने की संभावनायें घट जाती हैं। गरीबी के उन्मूलन के लिए स्थानीय और देशज लोगों को उनकी परंपरागत आर्थिक प्रवृत्तियां करने में सक्षम बनाने हेतु भी सर्व सम्मति बनी थी। प्रश्न है कि जहाँ वित्तीय खतरे बहुत अधिक हैं, क्या वहाँ नीति-निर्धारणकर्ता उसे समझ सकेंगे? जोहानिसबर्ग सम्मेलन ने लक्ष्यांक तय किये हैं और गरीबी-उन्मूलन के लिए विशाल कार्यक्रम गढ़ने की परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर विस्थापन होता है और विकास संबंधी परंपरागत बातों और व्यापारी हितों को ही ध्यान में लिया जाता हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को शक्ति कैसे प्राप्त हो सकेगी? इस सम्मेलन में मुख्य रूप से स्थानीय लोगों को शक्ति प्रदान करने की बात हुई है, लेकिन इसे वास्तविकता में चरितार्थ कर पाना वाकई बहुत मुश्किल बात है। गरीबों को प्रपीड़ित करने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा करने हेतु बहुपक्षीय मंच की आवश्यकता होती है। लेकिन इस सम्मेलन में अधिकांशतः जो समस्याएँ सम्पूर्ण विश्व के लिए चिंताजनक हैं उन्हें द्विपक्षीय स्तर पर हल करने की खतरनाक वृत्ति दिखाई दी है। इसका यह अर्थ है कि स्थानीय समस्याओं के विरुद्ध लड़ने के लिए स्थानीय लोगों को ही शक्तिशाली बनना पड़ेगा। जैसे कि गुजरात में सागर किनारे पोशित्रा में बनने वाले विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से प्रभावित होने वाले लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, हालांकि यह समस्या विकास संबंधी परंपरागत विचार से उपजी नीति के परिणामस्वरूप उभरी है। इस दृष्टि से देखने पर जोहानिसबर्ग का सम्मेलन गरीबी, पर्यावरण, स्वास्थ्य, जैव-वैविध्य तथा पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए आह्वान करता है परंतु उसने वैश्विक स्तर पर उनका समाधान लाने के बजाय स्थानीय सरकारों और लोगों पर उसे छोड़ दिया है। ऐसे में अपने अधिकारों की रक्षा और अधिक बेहतर जीवन के लिए पर्यावरण निर्मित करने की लड़ाई लोगों को स्थानीय तरीके से ही लड़नी होगी।

अनौपचारिक क्षेत्रः अर्थ, समस्यायें और समाधान

संगठित या औपचारिक क्षेत्र का विश्व के राष्ट्रीय अर्थतंत्र पर व्यापक प्रभाव होते हुए भी अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का फैलाव बढ़ता जा रहा है। **श्री हेमंतकुमार शाह** द्वारा लिखे गये इस लेख में अनौपचारिक क्षेत्र का अर्थ स्पष्ट करके उसकी समस्याओं का विश्लेषण किया गया है और उनके संभावित समाधानों की ओर इंगित किया गया है। विशेष रूप से, महिला कर्मचारियों की समस्याओं और वैश्विकरण की प्रक्रिया से उद्‌भूत चुनौतियों की इसमें विशेष रूप से चर्चा की गई है। इस लेख में संदर्भ के लिए सेवा और जी.आई.डी.आर के साहित्य का उपयोग किया गया है।

प्रस्तावना

बीसवीं सदी के कुछ अंतिम दशकों के दौरान विश्व के अर्थतंत्र में तथा समाज व समुदाय की ढांचागत व्यवस्थाओं में जबरदस्त परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों की निरंतरता व गति अभूतपूर्व रही है। इन परिवर्तनों ने समाज, सामाजिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संबंधी विचारों व समझ में भी जबरदस्त परिवर्तन किये हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव अर्थतंत्र के स्वरूप पर पड़ रहा है। औद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप जीवन-निर्वाह का काम खास समय व स्थान के साथ जुड़ गया था। काम का खास स्थान और काम का निश्चित समय औद्यौगीकरण का एक मौलिक लक्षण था। यह काम औपचारिक काम बन गया, क्योंकि मालिकों व मजदूरों के बीच के संबंध अधिक सुव्याख्यायित और सुनिश्चित बन गए थे। यद्यपि, ऐसा औपचारिक अर्थतंत्र विश्व के ज्यादातर देशों में उनके अर्थतंत्रों के कुल आकार के संदर्भ में बहुत ही छोटा था। उसकी एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि उसमें रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा होती थी।

विगत कई दशकों के दौरान ऐसे औपचारिक क्षेत्र का प्रसार घटता गया है और अनौपचारिक क्षेत्र का प्रसार बढ़ता गया है। सुरक्षा और कार्य-स्थल की स्थिरता जैसे लक्षणों की अनुपस्थिति इस अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता है। ऐसा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। वैश्विकरण की प्रक्रिया ने इसमें कई नये आयाम जोड़े हैं तथा अनौपचारिक क्षेत्र के स्वरूप और प्रसार बदले हैं और उनमें विस्तृतीकरण व विविधीकरण भी हुए हैं। वैसे देखें तो अनौपचारिक क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों का होना कोई नई घटना नहीं हैं। जीवन-निर्वाह के काम की जब से शुरूआत हुई, तभी से इस क्षेत्र का अस्तित्व है। लेकिन औद्योगिक विकास ने जिस प्रकार औपचारिक क्षेत्र को जन्म दिया, इस तरह से अनौपचारिक क्षेत्र की तासीर और तस्वीर नहीं बदली। राज्य जैसे-जैसे आर्थिक क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्व को छोड़ने की प्रवृत्ति कायम करता जाता है वैसे-वैसे अनौपचारिक क्षेत्र अधिक से अधिक व्यापक बनता दिखाई दे रहा है।

औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की पद्धति में जबरदस्त परिवर्तन हुए हैं। उसके परिणामस्वरूप विकास की व्यूह-रचना बदली है और उसके प्रकारों में परिवर्तन आया है। बड़े स्तर के और मध्यम स्तर के उद्योगों को सहारा देने की छोटे स्तर के, कुटीर, ग्राम, लघु एवं गृह आधारित उद्योगों की पद्धति भी बदली है। अर्थतंत्रों में आने वाली तेजी-मंदी, ढांचागत व्यवस्था की सरकारी नीतियां, द्रुतगति से बढ़ते जाते शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने अर्थतंत्र के स्वरूप को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अनौपचारिक क्षेत्र अर्थतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करने लगा है। लेकिन यह क्षेत्र अपने स्वरूप में असंगठित होने के कारण इसकी समस्याओं ने अत्यंत विकराल स्वरूप धारण कर लिया है और गरीबी व बेकारी की समस्याओं के साथ का इसका औपचारिक संबंध प्रकट हुआ है।

अनौपचारिक क्षेत्र का अर्थ

सन् १९६० के दशक में यह बात ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट होती गई कि विकास के निचले स्तर तक धीमे-धीमे पहुँचने का जो सिद्धांत था, वह व्यवहार में चरितार्थ होता दिखाई नहीं देता। साथ ही, यह भी साबित होता गया कि शुद्ध विकास या शुद्ध पूंजीवाद से सच्चे विकास की आशाएँ फलीभूत नहीं होतीं। यह भी लगने लगा कि ज्यादा से ज्यादा औद्योगीकरण से गरीबी और बेकारी की समस्याओं का हल

औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच का अन्तर

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ.एल.ओ.) द्वारा सन् २००० में केन्या संबंधी जो विश्व रोजगार कार्यक्रम प्रतिवेदन तैयार किया गया था, उसमें औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। यह अंतर निम्नानुसार है:

औपचारिक क्षेत्र	अनौपचारिक क्षेत्र
१. प्रवेश मुश्किल होता है।	१. प्रवेश आसान होता है।
२. विदेशी संसाधनों पर बारंबार निर्भर रहना पड़ता है।	२. देशज संसाधनों पर निर्भर रहा जाता है।
३. उद्यम कंपनियों के स्वामित्व के होते हैं।	३. उद्यम मुख्यतया परिवार के स्वामित्व के होते हैं।
४. बड़े स्तर पर काम होता है।	४. छोटे स्तर पर काम होता है।
५. यह पूंजी उन्मुख होता है। मांगी हुई भी हो सकती है।	५. टेक्नोलोजी श्रम उन्मुख होता है, और वह
६. इसमें प्रायः आयतित टेक्नोलोजी होती है।	६. औपचारिक शालायी व्यवस्था से बाहर कौशल प्राप्त किया जाता है।
७. कौशल प्रधान काम होता है और बहुधा विदेशी इसमें काम करते हैं।	७. बाजार अनियंत्रित है और स्पर्धात्मक है।
८. आयात कर, समूहात्मक नियंत्रण तथा व्यापारिक आज्ञापत्र से बाजारों की रक्षा की जाती है।	

नहीं निकलता। फिर १९७१ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (इंटरनेशनल लेबर ओर्गेनाइजेशन - आइ.एल.ओ.) द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र का विचार प्रचलित किया गया और शहरी अर्थतंत्र को औपचारिक व अनौपचारिक अर्थतंत्र में विभाजित किया गया और उसका आधार वेतन की कमाई और स्वरोजगार को बनाया। उसमें शहरी अर्थतंत्र में स्वरोजगार और लघु उद्यमों के महत्व पर बल दिया गया था। ये प्रवृत्तियाँ ऐसी थी कि उनकी गिनती अधिकांशतः सत्तावार आंकड़ों में नहीं होती थी (ज्यादातर मजदूर मंडलों, अन्य संगठनों और शोधकर्ताओं ने इस विषय में ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि अनौपचारिक क्षेत्र असमान विकास या अल्प-विकास का परिणाम है और यह संक्रांति काल की घटना है। लेकिन बाद में विकसित देशों में जब अनौपचारिक क्षेत्र का महत्व विकसित होता गया, वैसे-वैसे अनौपचारिक क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होने लगा। अनौपचारिक क्षेत्र के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नानुसार हैं:

(१) अनौपचारिक क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र के बीच का संबंधः

अनेक शोध बताती हैं कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच वास्तव में संबंध अस्तित्व में है, जो उप-कांट्रेक्ट प्रथा द्वारा मजबूती से स्थापित हुआ है। कई बार अर्थतंत्र में इन दो क्षेत्रों के बीच द्वंद्व नहीं भी होता। इन दोनों क्षेत्रों के लक्षण सम्पूर्ण रूप में बहुत कम स्थितियों में अस्तित्व धारण करते हैं।

(२) काम की स्थितिः

औपचारिक क्षेत्र में भी अनेक औद्योगिक इकाइयों में काम की स्थिति को लेकर सभी कर्मचारियों का दशा एक जैसी नहीं होती। इस क्षेत्र में काम करने वाले दिहाड़िया मजदूरों या कांट्रेक्ट मजदूरों की दशा अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों से कोई अच्छी नहीं होती। कई बार ऐसी भी अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयां होती हैं जिनमें औपचारिक क्षेत्र जैसी अच्छी स्थिति भी होती है।

(३) पूंजी और श्रम

अनौपचारिक क्षेत्र की कई इकाइयों में पूंजी का निवेशक बहुत औपचारिक तरीके से किया होता है, लेकिन कर्मचारियों की स्थिति अनौपचारिक क्षेत्र की सामान्य स्थिति जैसी ही होती है। अत्यंत लघु इकाइयों अथवा बहुत छोटी या अति लघु इकाइयों में इसी तरह की स्थिति होती है।

इस परिस्थिति के संदर्भ में सर्वाधिक महत्व का मुद्दा यह है कि अनौपचारिक क्षेत्र में कर्मचारियों का जबरदस्त शोषण होता है। फिर,

तालिका संख्या १
भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार
(करोड़ों में)

उद्योग समूह	कुल	शहर	गाँव
कृषि से इतर क्षेत्र	१३.३४	७.६३	५.७१
खेती	२३.६८	०.८४	२२.८४
खनन कार्य	०.१३	०.०४	०.०९
उत्पादन	४.१७	२.१९	१.९८
बिजली, गैस, पानी	०.००६३	०.००४०	०.००२३
निर्माण कार्य	१.६५	०.७२	०.९३
व्यापार, होटल, रेस्तरां	३.६७	२.३३	१.३४
परिवहन, संग्रह	१.१६	०.६९	०.४७
वित्तीय सेवाएँ	०.३२	०.३२	०.००
सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएँ	२.२२	१.३४	०.८८
कुल	**३६.९७**	**८.४६**	**२८.५१**

स्रोतः एन.एस.एस.ओ., ५५वां राउन्ड, १९९९-२०००

इस क्षेत्र में दुनिया भर में अधिक संख्या में महिलायें हैं। महिला कर्मचारियों का शोषण आर्थिक और सामाजिक रूप से होता है। उनका महिलाओं के रूप में भी शोषण होता है और महिला कर्मचारियों के रूप में भी शोषण होता है।

अनौपचारिक क्षेत्र को मजबूत बनाने वाले कारण

लघु इकाइयों, मध्यम स्तर की इकाइयों और बड़े स्तर की इकाइयों को औद्योगिक काम के अनौपचारिक स्वरूप से लाभ होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फायदा होता है। मालिक अधिकाधिक मुनाफा कमाने के लिए उत्पादन व्यय घटाना चाहते हैं। उत्पादन खर्च में वेतन का खर्च एक महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। जब कार्यकर्ता औपचारिक क्षेत्र में होते हैं, संगठित होते हैं और स्थायी होते हैं तब बीमा, स्वास्थ्य, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, छुट्टियां, काम के निश्चित घंटों आदि का लाभ नहीं मिलता जिससे मालिकों को लाभ होता है। इससे मालिकों के लिए कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व कम हो जाता है और उससे उत्पादन खर्च घटता है।

अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी असंगठित हैं अतः उनकी समझौता करने की शक्ति नहीं अथवा नहीं के बराबर है। वे संगठित नहीं हो सकते। परिणामतः संगठित क्षेत्र के अर्थात औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों की स्थिति भी बिगड़ती है, क्योंकि उनकी भी समझौता करने की शक्ति घट जाती है। बहुधा अनौपचारिक क्षेत्र इस तरह श्रम बाजार को तथा मुक्त बाजार को विकृत करने में अपना योगदान देता है।

भारत में १९९१ में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नयी आर्थिक नीति की शुरूआत हुई। विगत १२ वर्षों की अवधि के दौरान अनुभव ऐसा रहा है कि राज्य अपने उत्तरदायित्व त्याग रहा है। राज्य अपना अधिकांश ध्यान पूंजी को, विशेष रूप से विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के पीछे केंद्रित कर रहा है। कई बार उसमें श्रमिकों के हितों की बलि चढ़ जाती है। सस्ती मजदूरी आकर्षण का केन्द्र बनती है और कर्मचारियों की, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों की काम की स्थिति उससे खराब होती है।

अनौपचारिक क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण

अनेक कारण और अनेक प्रक्रियाएँ अलग-अलग समय व अलग-अलग स्थान पर आकार ग्रहण करती हैं और जिनके परिणाम स्वरूप अर्थतंत्र में अनौपचारिक क्षेत्र उद्‌भूत होता है। ये कारण और प्रक्रियाएँ निम्नानुसार हैं:

(१) संस्थानवादी शोषण का हिस्सा और उससे अधिकांश भाग में विकासशील देशों में पूंजी का प्रभाव।
(२) राज्य की गलत व संकीर्ण दृष्टि की विकासलक्ष्यी नीतियाँ।
(३) आर्थिक गैर-संचालन, सार्वजनिक सम्पत्ति की खुलेआम चोरी और सत्ताधीशों के अन्य भ्रष्टाचारी तरीके। इनमें से एक तरीका है कर चोरी।
(४) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा गलत नीतियाँ और गैर-संचालन।
(५) अनेक देशों के अर्थतंत्रों में एक जैसी ढांचागत समायोजन (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट) की नीति का क्रियान्वयन।
(६) अर्थतंत्र में तथा समाज में श्रम का स्त्री-पुरुष की दृष्टि से विभाजन
(७) पूंजीवाद का तर्क

ढांचागत समायोजन कार्यक्रम (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम - एस.ए.पी.) की अनेक शर्तें विश्व बैंक (अंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना एवं विकास बैंक – इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमैंट - आर.बी.आर.डी.), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (इंटरनेशनल मोनेटरी फंड - आइ.एम.एफ.) तथा एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं के द्वारा ऋण के बदले में लादी जाती हैं। ये शर्तें कई बार औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या घटाने वाली और अनौपचारिक क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने वाली होती है। ढांचागत समायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली नीतियों में औद्योगिक कार्य की पुनर्रचना की जो प्रक्रिया मालिक तय करते हैं अथवा राज्य तय करता है, वह मालिक के ही हित में होती है, परंतु मुआवजा, काम के घंटे, काम की स्थिति, काम संबंधी अनुबंध, संगठन विषयक संभावनाओं आदि के संदर्भ में वे श्रमिकों की जरूरतों पर ध्यान ही नहीं देती। अतः औद्योगिक काम की पुनर्रचना करते समय उत्पादकता, ग्राहक व कर्मचारियों की जरूरतें, कर्मचारियों की भूमिकाएँ और विविध परिचय के प्रति संवेदनशीलता आदि को ध्यान में लिया जाना चाहिए और इसी के अनुसार काम की डिजाइन तैयार होनी चाहिए।

भारत में अनौपचारिक क्षेत्र

भारत में खेती सहित अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या ३७ करोड़ है और वे कुल श्रमिकों का ९३ प्रतिशत हैं। खेती से इतर क्षेत्रों के लगभग ६३ प्रतिशत कर्मचारी अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करते हैं और उनकी संख्या लगभग १३.३ करोड़ है। इनमें से २.७० करोड़ अर्थात् लगभग २० प्रतिशत स्त्रियां हैं और ७.३ करोड़ अर्थात लगभग ५५ प्रतिशत शहरों में निवास करते हैं। खेती से इतर क्षेत्रों में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कुल कर्मचारियों के लगभग ६९ प्रतिशत हैं। इनमें से २.२ करोड़ अर्थात् २० प्रतिशत महिलायें हैं। और ५.९ करोड़ अर्थात लगभग ५४ प्रतिशत शहरों में रहते हैं।

देश के सकल घरेलू उत्पाद (ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट - जी.डी.पी.) में अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा ६० प्रतिशत है और इस में कृषि क्षेत्र के योगदान का समावेश हो जाता है। कृषि से इतर क्षेत्रों में सफल घरेलू उत्पाद में इस अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा लगभग ४५ प्रतिशत है। अनौपचारिक क्षेत्र के अलावा भारत के श्रमिकों का जो

तालिका संख्या २
भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान

क्रम	क्षेत्र	अनौपचारिक क्षेत्र का प्रतिशतवार योगदान	अनौपचारिक क्षेत्र में स्त्रियों का प्रतिशतवार योगदान
१.	खेती	९६.४	३८.७
२.	खनन कार्य	६.१	१७.०
३.	उत्पादन	३६.५	२७.३
४.	बिजली, गैस, पानी	६.०	-
५.	निर्माण कार्य	५३.५	११.३
६.	व्यापार	८४.२	१४.०
७.	रेस्तरां और होटल	६५.३	-
८.	परिवहन	६१.७	-
९.	संग्रह और भंडारण	५३.०	०.२
१०.	संचार	–	-
११.	वित्त, बीमा स्थायी संपत्ति	४३.०	९.१
१२.	सामुदायिक, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवाएँ	१८.२	३४.४
१३.	खेती से इतर सभी प्रवृत्तियां	४५.१	१९.९
१४.	तमाम क्षेत्र	६०.५	३२.०

स्रोतः नेशनल एकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स २०००, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार।

अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है वह है स्वरोजगार का क्षेत्र। श्रमिकों में लगभग ५३ प्रतिशत लोग स्वरोजगार करते हैं। उनमें कृषि क्षेत्र के असंगठित कर्मचारियों का समावेश हो जाता हैं। उनमें कृषि क्षेत्र के असंगठित कर्मचारियों का समावेश हो जाता है। फिर, लगभग ३३ प्रतिशत कर्मचारी अनियत वेतन रोजगार प्राप्त करते हैं। खेती से इतर क्षेत्रों में ४५ प्रतिशत कर्मचारी स्वरोजगार प्राप्त करते हैं और २१ प्रतिशत अनियत कर्मचारी हैं। इस प्रकार, इस अर्थ यह हुआ कि भारत में अधिसंख्य कर्मचारी ऐसी आर्थिक प्रवृत्तियों में जुड़े हैं जो काम के लिए नियमित कांट्रेक्ट धारण नहीं करते या फिर उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ नहीं मिलते।

अनौपचारिक क्षेत्र का एक लक्षण कार्यस्थल संबंधी है। खेती से इतर क्षेत्रों में लगभग ४६ प्रतिशत अनौपचारिक कर्मचारी ऐसे हैं कि जो

'सेवा' का रोजगार केन्द्र

- नफीसा खलील

अहमदाबाद शहर के मध्य में रहने वाली मुमताज बानू तैयार वस्त्रों की कारीगर है। उनके पड़ौसी ने 'सेवा' (स्वाश्रयी महिला सेवा संघ) का सदस्य बनने के लाभ की बात उन्हें बताई थी। सात वर्षों से वे 'सेवा' की सदस्य हैं। वस्त्र कारीगर होने के कारण उनको सिलाई करने का काम ही आता था। परंतु 'सेवा' से उन्हें पेचवर्क और डिजाइन एम्ब्रोयडरी का प्रशिक्षण व रिटेल शॉप में माल बेचने हेतु मदद मिली। इस नये ज्ञान, कौशल व संबंधों की वजह से वे प्रतिमाह ५००-७०० रु. के स्थान पर १५००-२००० रु. कमाने लगी है। उन्हें आमदनी से भी अधिक बहुत कुछ मिला।

वे कहती हैं कि 'अपने काम में मेरा विश्वास बढ़ा है और आर्थिक संयोगों का सामना करने हेतु दृढ़ मनोबल रखना सीख गई हूं। साथ ही यह भी सीख गई हूं कि सभी जाति के लोगों के साथ, दुकान-मालिक, ग्राहक तथा सप्लायर्स के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए, ताकि सफलता मिले।

आज देश में असंगठित क्षेत्र की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। इस वजह से इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में तीव्र प्रतिद्वन्द्विता, बेकारी, अस्थायी रोजी, कम वेतन मिलने लगा है। यह क्षेत्र बढ़ने का कारण वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के अच्छे व बुरे दोनों प्रभाव हैं। एक तरफ सेवा और निकास क्षेत्र में निजी सेक्टर में रोजगार के नये-नये द्वार खुले हैं तो दूसरी और परंपरागत धंधे बंद होते जाते हैं।

वस्त्र उद्योग में भारत का मानचेस्टर कहे जाने वाले अहमदाबाद में आज वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, परिणामतः ६०,००० मजदूर बेकार हो गये और वे रोजगार के लिए असंगठित क्षेत्र में आए, क्योंकि काम की पद्धति में बदलाव आ गया। उदाहरणार्थ परंपरागत लहँगे सीने का काम कम हो गया। जबकि जींस, इंटरलोक, होजरी, थोकबंद माल का उत्पादन बढ़ गया। वैश्वीकरण के अलावा भी परंपरागत बाजारों में बदलाव, मंदी आने लगी, यथा बीड़ी उद्योग, निर्माण उद्योग, कागज बीनना। इन तमाम प्रभावों से बचने और उन्हें कम करके बहनों की रोजी हेतु मांग को ध्यान में रखते हुए 'सेवा' ने विगत तीन वर्षों में रोजगार केंद्र शुरू किया है। इस केंद्र को ऐसी महिलाओं का ध्यान रखने हेतु शुरू किया गया है।

इस रोजगार केंद्र का उद्देश्य श्रमजीवी बहनों और उनके परिजनों को स्थायी व बराबर काम के अवसर ढूंढकर उन्हें उनके साथ जोड़ना है। रोजगार की मांग के मुताबिक और बदलते जाते रोजगार बाजार की मांग के साथ सदस्यों को तैयार करके जोड़ने हेतु जरूरत आने पर सदस्यों को उनके ज्ञान व आय में वृद्धि हेतु ऐसा प्रशिक्षण देना है, यथा-सिलाई, कटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ईंटे बनाना, कंप्यूटर, वीडियो फोटो, हीरा, गिफ्ट पैकिंग आदि।

विगत दो वर्षों में ही सेवा द्वारा चलने वाले इस रोजगार केंद्र द्वारा लगभग ७०० बहनों को रोजगार प्रदान किया गया है। यथा फैक्टरी में, आफिस, सिलाई काम, सफाई काम, वस्त्र बनाने का कारखाना, घर-घर घूमकर बेचना, घर का काम, रसोई आदि।

कई शिक्षित या अनपढ़ बहनों की, अपने काम में निपुण होते हुए काम में बदलाव आने से अथवा काम में अपर्याप्त कौशल के कारण उनकी आमदनी ५००-६०० रु. से बढ़कर १२००-१५०० रु. हो गई। इस प्रकार आर्थिक विकास होने के कारण वे स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हैं।

जबकि बहेरामपुरा में रहने वाली इंदुबेन कहती हैं "मैं नवीं कक्षा पास हूं और सफाई कर्मचारी हूं। निजी किराये के मकानों में झाड़ने-बुहारने जाती हूं, तो उसका पूरा मेहनताना नहीं मिलता। केवल शाम का खाना मिलता है। 'सेवा' में छः महीनों से जुड़ी हूं। यहां कसीदा-कढ़ाई, सिलाई का प्रशिक्षण लिया। आज मैं मिड्डी फ्रोक, ब्लाउज ड्रेस, पैंट आदि सीती हूं और प्रतिमाह ५००-७०० रु. कमाती हूं। मेरे जीवन में आर्थिक बदलाव आया। भविष्य में इससे भी अधिक हासिल करूंगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।"

इस प्रकार रोजगार केंद्र द्वारा बहनें वर्तमान इस स्पार्धात्मक बाजार में काम-धंधा प्राप्त करके आर्थिक दृष्टि से अधिक सुदृढ हुई हैं। आज जब समग्र विश्व बाजार में मंदी की लहर व्याप्त है, और बेकारों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, तब श्रमजीवी महिलाओं हेतु 'सेवा' द्वारा चलाए जाने वाला यह रोजगार केंद्र आशीर्वाद स्वरूप बन रहा है।

स्रोतः अनसूया, वर्ष-२१, अंक-७, ६ अप्रैल, २००२

तालिका संख्या ३
श्रमिकों में महिलायें: १९९९-२००० (प्रतिशत में)

	ग्रामीण	शहरी	कुल
कुल कर्मचारी			
कुल		३४.६	१९.७
३१.०			
अनौपचारिक क्षेत्र	३५.३	२०.०	३२.०
औपचारिक क्षेत्र	१७.६	१८.३	१८.०
कृषि से इतर क्षेत्रों के कर्मचारी			
कुल		२१.४	१७.८
१९.४			
अनौपचारिक क्षेत्र	२२.५	१७.९	१९.९
औपचारिक क्षेत्र	१६.०	१७.४	१६.८

स्रोत: एन.एस.एस.ओ. ५५वां दौर, १९९९-२०००

अपना अलग कार्यस्थल रखते हैं अथवा मालिक के स्थल पर काम करते हैं, जो उनका घर नहीं होता। २३ प्रतिशत तो अपने घर में ही काम करते हैं और १० प्रतिशत रास्तों में निश्चित स्थल पर रोजगार प्राप्त करते हैं। कृषि से इतर घर-आधारित स्वरोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी ३३ प्रतिशत हैं और ३८ प्रतिशत कर्मचारी उप-कांट्रेक्ट के आधार पर काम प्राप्त करते हैं अथवा वे घर में ही काम करते हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र में महिलायें

अनौपचारिक क्षेत्रों में महिला कर्मचारी कौन है?

अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों में ऐसी तमाम महिला कर्मचारी समाविष्ट हैं जिन्हें किसी तरह की सामाजिक और कानूनी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। उनमें कम से कम निम्न महिला कर्मचारियों का समावेश तो होता ही है: (१) कृषि मजदूर (२) वन मजदूर (३) मत्स्य क्षेत्र की मजदूर (४) कचरा बीनने वाली (५) निर्माण कार्य करने वाली मजदूर (६) घर के काम करने वाली स्त्रियां (७) घरेलू काम वालियां (८) घर-घर घूम कर या दुकान पर बैठकर चीजें बेचने वाली (९) अनियत कर्मचारी या अस्थायी कर्मचारी (१०) कांट्रेक्ट कर्मचारी (११) निजी कर्मचारी (१२) अत्यंत लघु उद्यमों में काम करने वाले कर्मचारी (१३) अंशकालीन कर्मचारी।

महिला कर्मचारियों हेतु काम की उत्तम दशा के मापदंड

महिला कर्मचारियों के लिए काम की दशा उत्तम करने के हेतु समग्र अर्थतंत्र की और कार्यस्थल की पुनर्रचना या पुनर्व्यवस्था करनी पड़ेगी। कर्मचारियों की अनेक जरूरतों और भूमिकाओं के प्रति संवेदनशील बनना पड़ेगा और उनमें बदलाव-क्षमता के सकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस अर्थ में समग्र अर्थतंत्र में तथा काम के स्वरूप में जो बदलाव करने पड़ेंगे, उनसे संबंधित मापदंड इस प्रकार के हो सकते हैं:

(१) महिला कर्मचारियों की दृष्टि से बदलाव की क्षमता।
(२) काम की शर्तों में काम की चिंता करने की जिम्मेदारी उत्पन्न करने की क्षमता।
(३) अल्प अवधि का लाभ।
(४) लाभ लंबी अवधि तक टिकने की संभावनायें।
(५) कौशल उत्पन्न करने तथा पुनः कौशल उत्पन्न करने की संभावना।
(६) काम में आगे बढ़ने की संभावना।
(७) रोजगार सुरक्षा।
(८) लंबी अवधि का रोजगार मिलने की संभावना।
(९) पुरुष का काम और स्त्री का काम, जहां ऐसा विभाजन होता हो, वहाँ उसे चुनौती देने की संभावना।
(१०) स्त्री-पुरुष के वेतन में अंतर को चुनौती देने की संभावना।
(११) स्त्रियों की व्यक्तिगत सुरक्षा। उदाहरणार्थ यौन उत्पीड़न और हमले से रक्षा।
(१२) काम की अनुकूल, स्वस्थ एवं सुरक्षित स्थिति।
(१३) काम का संतोष और आनंद।
(१४) एक टुकड़ी का भाग होने के बतौर मानसिक जरूरत को संतुष्ट करने की संभावना।
(१५) स्वयत्तता हेतु अधिक अवसर।
(१६) सहकारी मंडली व मंडल बनाने की संभावनाएँ।
(१७) कानूनी प्रस्तुति की संभावनाएँ।
(१८) जरूरतों और अधिकारों हेतु सौदेबाजी की संभावनाएँ।
(१९) विविध स्तरों पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की संभावनाएँ।

वैश्वीकरण की वजह से महिला कार्यकर्ताओं हेतु उत्पन्न समस्याएँ भारत में लगभग ९६ प्रतिशत महिला कार्यकर्ता अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही हैं। अधिकांशतः भारत में यही स्थिति प्रचलित रही है।

वैश्विकरण की प्रक्रियाओं ने उनके लिए जो भिन्न प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न की हैं, वे निम्नानुसार हैः

(१) औपचारिक क्षेत्र में भी जो थोड़ी महिलायें हैं, वे अपना रोजगार गंवा रही हैं या फिर उनके काम की गुणवत्ता बिगड़ रही है। सरकार की निजीकरण की नीति और कारखाने बंद करने आसान हों ऐसी कानूनी व्यवस्थाएँ होने से यह प्रक्रिया अधिक वेगवान हुई है।

(२) कार्यकर्ताओं, और विशेष रूप से महिला कार्यकर्ताओं के लिए कानूनी रास्ता अपनाना मुश्किल होता है क्योंकि समय और पैसों की दृष्टि से वह बहुत खर्चीला होता है और गरीब कर्मचारियों के पास पैसों की कमी ही होती है।

(३) अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिशतवार संख्या में वृद्धि हुई है। अनौपचारिक प्रकार के कामों में श्रम की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है अतः उनके लिए अस्तित्व बनाये रखना बहुत मुश्किल होगा।

(४) कार्यकर्ताओं की आमदनी में कमी आने से स्त्रियों समेत परिवार के अधिक से अधिक सदस्य स्वरोजगार प्राप्त करने वाले के रूप में अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल होते जाते हैं।

(५) खेती के क्षेत्र में बाजार की ताकतों के कारण तथा विकासपरक परियोजनाएँ शुरू होने की वजह से परिवारों में ज्यादा से ज्यादा लोग मजदूर बनते जाते हैं। जिन परिवारों के पास थोड़ी बहुत जमीन थी अथवा जीवन निर्वाह हेतु कुछ साधन थे, उन्हें उन्होंने गंवा दिया है। स्त्रियों को साधारणतया हमेशा जमीन जैसे उत्पादक साधन प्राप्त होने नहीं दिये जाते।

(६) ज्यादातर जीवन निर्वाह की तथा देखभाल की जो प्रवृत्तियां महिलायें करती थीं, वे अब अधिक समय लगने वाली, मेहनत वाली और कमरतोड़ बन गई हैं। उदाहरणार्थ, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी पानी, घास-चारे और ईंधन के लिए ज्यादा से ज्यादा दूर जाना पड़ता है। अथवा परिवार के वृद्ध या बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए भी उन्हें दूर जाना पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं के पीछे का राज्य का हिस्सा घटा है।

(७) उदारीकरण ज्यादातर विशाल स्तर पर और औपचारिक क्षेत्र में हुआ है, पर अनौपचारिक क्षेत्र में लोगों के लिए अस्तित्व टिकाये रखना ज्यादा से ज्यादा कठिन हो गया है। रास्ते में फेरी लगाने वालों, वन मजदूरों आदि के लिए राज्य का नियंत्रण और उत्पीड़न बढ़ा है, जिसे अस्तित्व टिकाये रखना ज्यादा मुश्किल हो गया है। अधिकांशतः आवास का स्वरूप अस्थिर हो गया है, जो स्त्रियों के लिए काम का स्थल होता है। अतः परिस्थिति अधिक गंभीर बनती जाती है।

(८) पहले मजदूरों की और अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं के हल के लिए कई प्रयास हुए थे, परंतु पिछले दशक के दौरान इस तरह की चिंता ही मानो समाप्त हो गई है। राजनीतिक पक्ष की चुनाव घोषणाओं में या उनकी नीतियों में मजदूरों की, विशेष रूप से महिला मजदूरों की जरा भी चिंता नहीं की जाती। गरीबी एक ऐसी समस्या बन गई है कि जिसके निवारण की जरूरत समझ में आती है। यह प्रवृत्ति अभी-अभी न्यायपालिका में भी प्रविष्ट हो चुकी है, जो अभी तक राजनीतिक हितों और मंत्रिमंडल से स्वतंत्र समझी जाती थी।

उपसंहार

आज दुनिया भर में औद्योगिक काम के संबंध में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गतिशील कारक अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। एक तरफ पूंजी समग्र विश्व में किसी भी राष्ट्रीय सीमा को पहचाने बिना आजादी से घूम-फिर रही है और दूसरी तरफ राष्ट्र-राज्य की पहचान अधिक बलवती बनती जा रही है। अतः मजदूरों के, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के अधिकारों को व्यापक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक ढांचे के संदर्भ में देखने की जरूरत है। पूंजी यह चाहती है कि वह जो उत्पादन-खर्च करती है, वह घटे। वह श्रम खर्च घटाने का इरादा रखती है। प्रत्येक देश इस समय श्रम खर्च घटाने की स्पर्धा कर रहा है। ऐसे समय अनौपचारिक क्षेत्र के कार्मिकों के लिए जो नयी व्यूहरचनाएँ अपनाने की जरूरत है, उनमें निम्न मुद्दे महत्वपूर्ण हैं:

(१) अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को संगठित करने की जो पद्धतियां अपनाई गई हैं, उन्हें अधिक बलवती बनाना। उसमें घर के स्तर पर या समुदाय के स्तर पर मजदूरों को संगठित करने का प्रयास करना तथा औद्योगिक बस्ती के क्षेत्र में उनको संगठित करने का प्रयास करना सम्मिलित है।

(२) अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की कानूनी

शेष पृष्ठ 18 पर

टिकाऊ विकास की पड़ताल करता पृथ्वी शिखर सम्मेलन

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विकास हेतु लगाई गई दौड़ से तथा विकसित देशों की जीवन शैली के परिणामस्वरूप पर्यावरण की गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हुई। उससे संबंधित चिंतन से स्थायी विकास का विचार उद्‌भूत हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बारे में चिंता शुरू की। दस वर्ष पूर्व उसने प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के उद्देश्यों और उसकी कार्यवाही तथा उसके परिणामों के बारे में प्रकाश डालने वाला यह लेख नेहरु फाउन्डेशन फॉर डेवलपमैंन्ट, अहमदाबाद के **श्री विजयकुमार कौशल** द्वारा लिखा गया है।

पृथ्वी शिखर सम्मेलन की भूमिका

'विश्व चिरंतन विकास शिखर सम्मेलन' (डब्ल्यू.एस.एस.डी.) २००२ हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में सम्पन्न हुआ। इसका आयोजन २६ अगस्त से ४ सितंबर के बीच हुआ था। इस में २१,००० से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था। यूनाइटेड नेश्न्स (संयुक्त राष्ट्र) प्रेरित इस सम्मेलन में १०४ विभिन्न राष्ट्रों के उच्च नेताओं, निजी कंपनियों के अध्यक्षों और स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस वर्ष के सम्मेलन के विचारणीय मुद्दों में सबसे मुख्य मुद्दा 'मानव' था। साथ ही विश्व के विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास पर ध्यान देना इसका मुख्य लक्ष्य था। इन मुद्दों के साथ 'विश्व पर्यावरण' के मुद्दे को भी विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन विश्व को विकास के नये पथ पर ले जाना था। विश्व के सभी देश विकास के रथ को एक दिशा में समान गति से ले जायें, इस हेतु समान नियमों पर विचार करने का आयोजन इसमें किया गया था।

आज विश्व के विकासशील देश भुखमरी, गरीबी, पेयजल की कमी, आहार तथा खेती के संकट, वनों के विनाश, कृषि-योग्य भूमि के कटाव, स्वास्थ्य के संकट, जनसंख्या वृद्धि जैसी जटिल समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये समस्याएँ सिर्फ विकासशील राष्ट्रों की ही नहीं, परंतु पृथ्वी पर निवास करने वाली समग्र मानव जाति की हैं। ये समस्याएँ विकासशील राष्ट्रों को प्रभावित कर रही हैं, पर साथ ही कुछ हद तक विकसित राष्ट्रों को भी छू रही हैं। वर्तमान जटिल समस्याओं रूपी संकट को कोई भी राष्ट्र अकेले दूर कर सके, यह संभव नहीं हैं। परंतु विश्व के सभी राष्ट्रों के संयुक्त प्रयासों के द्वारा ही इसका समाधान हो पाना संभव है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विश्व के सभी राष्ट्र एक साथ इकट्ठे होकर इन वैश्विक समस्याओं का हल ढूंढने हेतु संयुक्त प्रयास करें, इस हेतु 'संयुक्त राष्ट्र' ने प्रति दस वर्ष बाद 'पृथ्वी सम्मेलन' आयोजित करने का निश्चय किया था। हाल ही में जोहानिसबर्ग में सम्पन्न सम्मेलन इस क्रम का दसवां सम्मेलन था। इससे पूर्व विविध विषयों को लेकर सम्मेलन कब कहां हुए थे, और उनमें क्या-कुछ हुआ था, इस बारे में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।

विश्व का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 'यूएन कांफ्रेंस ऑन एंवायरन्मैंट एंड डेवलपमैंट', १९९२ में रियो डि जेनेरो में सम्पन्न हुआ था। उसमें विश्व के ११७ राष्ट्रों के चोटी के नेताओं ने भाग लिया था। उसमें २१ कार्यक्रमों की सूची (एजेंडा) रखी गई थी। इन कार्यक्रमों में प्राकृतिक स्रोत का कौशल से उपयोग करके प्रदूषण व रसायन का उपयोग घटा कर पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के कार्यक्रम पर अधिक बल दिया गया था। इसी सम्मेलन में जैव-विविधता और जलवायु में परिवर्तन के बारे में प्रस्ताव पारित किये गए थे। जलवायु विषयक प्रस्ताव में औद्योगिक राष्ट्रों के लिए बंधन-स्वरूप न हो, इस तरह कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन का अनुपात घटाने का प्रस्ताव तय हुआ था।

१९९३ में सम्पन्न सम्मेलन कोई नया कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया गया। परंतु पूर्ववर्ती सम्मेलन के एजेंडे का अनुवर्ती काम किया गया था। सन् १९९४ में काहिरा में आयोजित तीसरा सम्मेलन आबादी और विकास विषय पर हुआ। उसमें विश्व की जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने और उस पर नियंत्रण करने की योजना के अंतर्गत नारी-

शिक्षण पर अधिक बल दिया गया था। इसी सम्मेलन की 'ग्लोबल एन्वायर्नमैंट फेसिलिटी कांफ्रेस' में सहायता हेतु लाखों डालर विकासशील राष्ट्रों की निर्णय शक्ति बढ़ाने हेतु आवंटित किये गए थे।

सन् १९९५ में चीन की राजधानी बीजिंग में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में सुधार लाने हेतु कार्यक्रमों की सूची बनाई गई थी तथा कृषि योग्य भूमि के कटाव, वनों के विनाश को रोकने हेतु जरूरी कदम उठाने का निर्णय लिया गया था। इसी वर्ष के दौरान कोपनहेगन में सम्पन्न सामाजिक विकास विषयक विश्व सम्मेलन में दुनिया से गरीबी का सम्पूर्णतया उन्मूलन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय सहमत हुआ था।

१९९६ में बोलविया के सांताक्रुज में चिरंतन विकास हेतु अमेरिकी सम्मेलन हुआ। उसमें पृथ्वी के आधे भाग के विकास हेतु साझे प्रयत्नों की आवश्यकता महसूस की गई थी। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण जंगल में लगने वाली आग से ५० लाख हैक्टेयर जंगल तथा भूमि का प्रतिवर्ष विनाश होता है। इस सम्मेलन के दौरान 'क्योटो संधि' के अधीन २००८-२०१२ तक चार वर्षों की अवधि में औद्योगिक राष्ट्रों को ६ से ८ प्रतिशत ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का अनुपात घटाने हेतु बाध्य किया गया था। यह संधि १९९२ के जलवायु परिवर्तन विषयक प्रस्ताव को दृढ़ करता है।

१९९८ के सम्मेलन में अन्टार्कटिका पर बढ़ रहे ओज़ोन के छिद्र चर्चा के मुख्य मुद्दे थे। ओज़ोन का छेद सन् १९९३ के २० लाख वर्ग कि.मी. से बढ़ कर १९९८ में २५० लाख वर्ग कि.मी. हो गया था। सन् १९९९ में सिएटल में आयोजित विश्व व्यापार संगठन का तीसरा मंत्री सम्मेलन भारी प्रदर्शनों के कारण बंद कर दिया गया था। उस

सभ्य समाज का बहिष्कार किसलिए?

- वंदना शिवा

चिरंतन विकास संबंधी जोहानिसबर्ग सम्मेलन रियो + १० के बजाय दोहा + १० बना रहा। १० माह पूर्व 'विश्व व्यापार संगठन' के मंत्रियों की बैठक उसे बचाने हेतु दोहा में हुई थी। ऐसी सहमति बनी थी कि सिएटल में जो नया दौर शुरू करने में निष्फलता मिली थी, उसे इस दोहा की बैठक में फिर से शुरू किया जाए। चिरतंन विकास हेतु इस विश्व व्यापार सम्मेलन में क्रियान्वयन विषयक दस्तावेज में दोहा और 'विश्व व्यापार संगठन' का उल्लेख सिर्फ एक स्तर पर ४६ बार हुआ है। जबकि रियो सम्मेलन का उल्लेख सिर्फ एक ही बार हुआ है। अमेरिका और यूरोपीय संघ (ई.यू.) द्वारा उसका मसौदा गैर लोकतांत्रिक तरीके से दाखिल किया गया और कुछेक सुधार के साथ दक्षिण अफ्रीका द्वारा उसे फिर दाखिल किया गया। रियो के चिरंतनता के एजेंडे के बदले 'विश्व व्यापार संगठन' के व्यापारी और कोर्पोरेट एजेंडे दाखिल किये गये, उसके विरुद्ध सरकारों ने कोई एतराज नहीं उठाया।

गरीब देशों में भूमि, जल, जैव-विविधता जैसे प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति तथा उनसे संबंधित अधिकारों के बारे में गरीबों का संघर्ष जारी है और वर्ग संघर्ष मूलभूत रूप से पर्यावरणीय संघर्ष है। पर जोहानिसबर्ग सम्मेलन को कृत्रिम रूप से गरीबों संबंधी सम्मेलन के रूप में प्रस्तुत किया गया, पर्यावरणीय सम्मेलन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। गरीबी के उपाय के रूप में उस समय वैश्विकरण प्रस्तुत हुआ और गरीबों के पास रहे-सहे संसाधन भी लूट लेने के निर्णय उस समय लिये गये। उससे वे और अधिक गरीब बने। पेयजल और सिंचाई जल के निजीकरण, बीजों के पेटेंट और जमीन से किसानों का और उसके परिणाम स्वरूप खेत मजदूरों का विच्छेद इत्यादि को गरीबी निवारण के उपाय के रूप में वर्णित किया गया। पर जोहानिसबर्ग सम्मेलन में भी प्राकृतिक संसाधनों के अस्थायी अनैतिक और असमान स्वामित्व, नियंत्रण और उपयोग को ही मुख्य कार्य-सूची के रूप में स्वीकार किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन को वास्तव में कोर्पोरेट जगत ने हाईजेक कर लिया था। परंतु उसके सांकेतिक अर्थ बहुत गहरे हैं। लोकतंत्र के लिए ये वृत्तियां बहुत खतरनाक हैं। कानूनी दृष्टि से बाध्य बहुपक्षीय समझौते के बदले सार्वजनिक - निजी भागीदारी के रूप में जो परिणाम सामने आए हैं वे राज्यों और 'संयुक्त राष्ट्र' (यूनाइटेड नेशन्स - यू.एन) के निजीकरण को दर्शाता है। 'हम लोगों' का 'संयुक्त राष्ट्र' माने 'अमेरिकी कंपनियों' का बन गया है। यह सम्मेलन मानो बोली लगाने का केंद्र बन गया कि जहां पृथ्वी को ही बेचने के लिए रख दिया गया है। सभ्य समाज के लिए पृथ्वी और विश्व बेचने की वस्तु नहीं है।

समय विश्व व्यापार संगठन की पर्यावरण व सामाजिक नीतियों की जबर्दस्त निंदा की गई थी। सन् २००० में आयोजित 'यूनाइटेड नेशन्स मिलेनियम समिट' में दुनिया भर के नेताओं ने इसके घोषणापत्र को अपनाया था। उसमें महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता देने वाले मूल्यों, सिद्धांतों एवं लक्ष्य का समावेश किया गया था।

विश्व के नेताओं ने इस समय यू.एन. के गरीबी उन्मूलन तथा वैश्विकरण के युग में वैश्विक निष्पक्ष अर्थव्यवस्था को महत्व देने वाले मुद्दे को प्राथमिकता देने हेतु अपनी सहमति दर्शाई थी। इसी सम्मेलन के दौरान 'जैव सुरक्षा संधि' को लागू करने वाली जैविक टेक्नोलोजी द्वारा परिवर्तित फसल तथा अंगों के व्यापार के बारे में अत्यंत सावधानी रखने पर बल दिया गया था। सन् २००१ में सम्पन्न सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने बताया था कि अमेरिका क्योटो संधि को नहीं मानेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन स्तर को घटा पाना अभी उसके लिए संभव नहीं है।

पर्यावरण और टिकाऊ विकास का अनुबंधः चर्चा के मुख्य विषय

टिकाऊ विकास के मार्ग में मुख्य रूप से गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जैव विविधता, स्वास्थ्यप्रद परिस्थिति, सम्पत्ति के न्यायिक व असमान वितरण को मुख्य अवरोधक कारकों के रूप में माना गया है। विकासशील व विकसित देशों के बीच असमानताओं और पर्यावरण प्रदूषण से पार पाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में हमेशा मतभेद रहे हैं। दो घटनाओं ने विकसित देशों के इरादों के प्रति संदेह उत्पन्न किया है। पहला, क्योटो संधि पर हस्ताक्षर करने में अमेरिका की जिद अभी शांत नहीं हुई।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम्बेकी ने 'सभ्य समाज मंच' को खुला छोड़ते हुए वैश्विक रंगभेद की बात की थी। राजनीतिक घोषणा के मसौदे में भी उन्होंने वैश्विक रंगभेद शब्दों का उल्लेख किया था। अमेरिकी दबाव के बाद दक्षिण अफ्रीका ने यह उल्लेख रद्द कर दिया और घोषणा का पाठ बदल डाला। मात्र नोर्वे और इथोपिया ने ही रियो में जो बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता हुआ था उसको 'विश्व व्यापार संगठन' के नियमों के अधीन लाने हेतु विरोध व्यक्त किया था। घोषणा के पाठ में 'फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ', अभियान द्वारा कंपनियों की जिम्मेदारियों के जो निवेदन सफलतापूर्वक दाखिल किए गए थे, उन्हें भी विकृत कर दिया गया और उनका भी इन दो देशों ने विरोध किया। स्वास्थ्य के संबंध में मानवाधिकारों के विषय में जो भाषा व्यव्हार में ली गई थी, उस भाषा को हटाने में महिला मंत्रियों के समूह को सफलता मिली थी, यही एकमात्र विजय थी।

टिकाऊ विकास विषय इस विश्व शिखर सम्मेलन में पानी के निजीकरण के विरुद्ध भारी विरोध व्यक्त किया गया। जोहानिसबर्ग के सम्मेलन में यह स्पष्ट हो गया कि संस्कृतियों के बीच का असली संघर्ष तो जीवन की संस्कृतियों और मृत्यु की संस्कृतियों के बीच है। गरीबी-विरोधी आंदोलन, न्याय हेतु आंदोलन, स्थायित्व हेतु आंदोलन, पर्यावरण - सुरक्षा हेतु आंदोलन, आदि सब आंदोलन एक ही हैं और वे सभी आंदोलन वास्तव में स्थायित्व हेतु आंदोलन हैं और वे यह दर्शाने हेतु आंदोलन हैं कि स्थायित्व का आन्दोलन प्राकृतिक अधिकार है। इस प्राकृतिक अधिकार को कागज के टुकड़ों पर दर्ज भ्रष्ट समझौते नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जोहानिसबर्ग के सम्मेलन में इस आंदोलन के पास नैतिक ताकत थी।

रियो सम्मेलन ने 'जैव विविधता प्रस्ताव' और 'जैव सुरक्षा संधि' दी थी। पर जोहानिसबर्ग के सम्मेलन ने अफ्रीका में बायो टैक्नोलोजी (जैव तकनीक) धकेलने का बाजार प्रदान किया। सैकड़ों अफ्रीकी किसानों और सरकारी प्रतिनिधियों नें 'जनीन द्वारा सुधारित आहार' (जी.एम.एफ) की जो सहायता अफ्रीका को दी जाती है, उसका कड़ा विरोध किया। अफ्रीका के ४५ देशों की ओर से यह बात प्रस्तुत हुई थी। जाम्बिया और जिम्बाबवे की सरकारों ने सम्मेलन में इस बारे में जो प्रस्तुति दी थी, उसको अफ्रीकी सभ्य समाज की ओर से भारी समर्थन मिला था। इस सम्मेलन के समय बालकों, स्वैच्छिक संस्थाओं, भूमिहीन मजदूरों आदि की अलग-अलग परिषदें मिली थीं। इन वैकल्पिक परिषदों ने लोककेन्द्री और पृथ्वी केन्द्री एजेंडा प्रस्तुत किया था। चार सितंबर को शिखर सम्मेलन की विकसित देशों के वर्चस्व वाली ऐसी सत्तावार प्रक्रिया का स्वैच्छिक संस्थाओं के बहुत सारे नेताओं ने सभा त्याग करके विरोध व्यक्त किया था। उन्होंने जो निवेदन जारी किया, उसमें कहा गया था कि 'सभ्य समाज और पृथ्वी के बहाने सरकारों और कंपनियों ने अपने हित साधने हेतु जो विघटन किया है' उसके प्रति उन्होंने रोष व्यक्त किया है।

दूसरा यह कि इस सम्मेलन में एक महीने पूर्व 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (यू.एन.ई.पी.) द्वारा एशिया के आकाश में भूरे बादलों की फैली हुई चादर के बारे में चौंकाने वाला विवरण प्रकट किया था। इस विवरण में दर्शाया गया था कि एशिया खंड के ऊपर आकाश में प्रदूषण के कारण तीन कि.मी. मोटी प्रदूषित बादल की परत छाई हुई है। यह विवरण एशिया में बढ़ने वाली प्रदूषण की समस्या की ओर संकेत करता है। इस विवरण से स्पष्टतया जाहिर होता है कि विकसित देश अपनी गलतियाँ छिपा कर दूसरों की त्रुटियों के बारे में हो-हल्ला मचा रहे हैं।

यू.एन.ई.पी. का 'भूरे बादलों' विषयक विवरण आंशिक रूप से भी सच्चा हो तो सब के लिए यह खतरे की घंटी जैसा है। 'संयुक्त राष्ट्र' की इस एजेंसी ने बताया कि एशिया खंड पर छाये भूरे बादल धूल, माटी, धुएं, राख और वायुविलयों से के बने हुए हैं और उनकी उत्पत्ति अधिकांशतः डीजल के वाहनों के धुओं और जंगलों में लगने वाली आग के धुएं के कारण होती है। रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि बादलों की तीन कि.मी. मोटी परत संपूर्ण एशिया खंड पर न्यूनाधिक रूप में छाई हुई है। परिणामस्वरूप पश्चिम-उत्तरी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के अधिकांश इलाकों पर पड़ने वाला १५ से २० प्रतिशत सूर्य-प्रकाश रुक जाता है।

विश्व में तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हुए अमेरिका ने क्योटो संधि को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। १९९५ में जापान के क्योटो शहर में घोषित हुए इस दस्तावेज में औद्योगीकरण और वाहनों के प्रदूषण से दुनिया के तापमान में दर्ज निरंतर बढ़ोतरी की रोकथाम के उपाय सोचे गए थे। अभी तक ७० प्रतिशत अधिक देश क्योटो संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। पर ये ७० प्रतिशत देश मात्र ४५ प्रतिशत प्रदूषण हेतु जिम्मेदार हैं। विकसित देशों ने क्योटो संधि पर अभी हस्ताक्षर नहीं किये हैं और कोई न कोई कारण बताकर टालते रहे हैं।

१९९२ के शिखर सम्मेलन में अमेरिका ने प्रदूषित होती हवा, पानी तथा भूमि के विरुद्ध मदद देने के लिए सहमति व्यक्त की थी। तदुपरांत महिलाओं को मदद देने, गरीबी दूर करने तथा शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के वचन दिये थे। रियो सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए थे, उन पर शायद ही कोई अमल किया जा सका हो। दोहा (कतर) में इसी वर्ष विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के सम्मेलन में तय हुआ था कि कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी में भारी कटौती की जाये, इसके बावजूद हाल ही में अमेरिका ने अपने किसानों के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व में एशिया व अफ्रीका खंड के देशों में गरीबी घटाने का मुद्दा भी सम्मेलन के एजेंडे में सर्वोपरि था। जबकि विकसित देशों के लिए प्राकृतिक सम्पदा का संरक्षण महत्वपूर्ण मुद्दा था।

रियो के पृथ्वी सम्मेलन में 'एजेंडा २१' पर विभिन्न देशों ने हस्ताक्षर किये थे। इन समस्त प्रकरणों में समुद्र की मछलियों से लेकर आकाश के पर्यावरण से संबंधित सभी बातों को सर्वग्राही तरीके से समेटा गया था। इस एजेंडे में यहाँ तक बताया गया था कि गरीब देश कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उनके ऋण माफ किये जाने चाहिए। अभी यह ऋण लगभग ३४ प्रतिशत बढ़ गया है और यह एक हजार अरब डॉलर पार कर गया है। अफ्रीका खंड में सहारा रेगिस्तान के नीचे वाले देशों में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या लगभग २४ करोड़ थी, जो दस वर्षों बाद लगभग ३० करोड़ हो चुकी है।

सब्सिडी का मुद्दा भी अत्यंत पेचीदा है। विकसित देश ऐसे सम्मेलनों में इस मुद्दे की चर्चा भी नहीं होने देते। खुद किसानों को बहुत बड़ी राशि देते हैं, परंतु जब विकसित राष्ट्र कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सब्सिडी देने की बात करते हैं तो डब्ल्यू.टी.ओ. जैसे संगठनों के मार्फत वे दंड लगाते हैं। विकासशील देशों को ऋण देने वाली विश्व बैंक जैसी संस्थाएँ भी सब्सिडी को कम करने पर बल देती हैं। अभी विश्व में सब्सिडी के पीछे प्रति वर्ष १८,००० अरब रुपये खर्च होते हैं। यह रकम प्रतिदिन के हिसाब से पांच अरब रुपयों के करीब होती है। अमेरिका दूसरे देशों को जो अनाज बेचता है, उसकी लागत औसतन ४६ प्रतिशत के करीब कम होती है। विकासशील देशों के किसान ऐसे विकसित देशों के किसानों की बराबरी नहीं कर सकते। खुद 'संयुक्त राष्ट्र' ने स्वीकार किया है कि विकासशील देशों को प्रतिवर्ष २८०० अरब रुपयों का नुकसान हो रहा है। यह मुद्दा पृथ्वी सम्मेलन में चर्चा के योग्य था, जिसे विकसित देशों की लॉबी ने दबा दिया।

दूसरा मुद्दा जेनेटिक (जनीन) दृष्टि से परिष्कृत अन्न का है। अभी इस

मुद्दे पर दुनिया भर में विवाद चल रहा है। समस्या यह है कि जेनिटिकली मोडीफाइड फूड का धंधा पूरी तरह से कोर्पोरेट जगत के हाथ में है। इक्के-दुक्के किसान को उससे क्या लाभालाभ है, इसकी किसी को नहीं पड़ी। अब अकाल-ग्रसित अफ्रीकी देशों के लोगों की भूख मिटाने के लिए जनीन तरीके से परिष्कृत खाद्यान्न भेजने का अनुरोध है। कई अफ्रीकी देशों ने ऐसा अनाज स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इस बारे में विश्व स्तर पर जिस ढंग से सक्रिय चिंतन किया जाना चाहिए था, वह सम्मेलन में नहीं हुआ, यह हकीकत है।

समग्र विश्व इस समय जिस गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, इसके बारे में उतनी ही गंभीरता से चर्चा हो, और उसका मुकाबला करने के लिए उपाय ढूंढा जाये, यह समय का तकाजा है। सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि की है। आज विश्व की आबादी ६ अरब की सीमा लांघ चुकी है। जनसंख्या वृद्धि को लेकर ठोस उपाय नहीं सोचे गए। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र की प्रगति को अवरुद्ध करने वाला एकमात्र कारक यही जनसंख्या वृद्धि है। परंतु राजनीतिज्ञ अपने निजी स्वार्थ के लिए इस मुद्दे को अधिक महत्व नहीं देते। १९७५ से २००० के वर्ष में जनसंख्या वृद्धि ४८ प्रतिशत हुई है। यदि इस क्षेत्र में प्रगति जारी रही तो २०५० तक हम चीन को पीछे छोड़ देंगे।

खाद्यान्न के सवाल पर भी अभी चर्चा बहुत जरूरी है। यह मुद्दा पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण से नहीं, वरन् हर रोज रात को भूखे सोने वाले तीसरी दुनिया के देशों की दृष्टि से देखा जाना जरूरी है। आहार के साथ पानी की समस्या भीं अब विकट बन चुकी है। एक अनुमान के अनुसार सिर्फ ५ प्रतिशत पानी ही ताजा और स्वच्छ रहा है। पानी के स्त्रोत घटते जा रहे हैं। वर्तमान स्त्रोतों में से अशुद्ध और रोगजन्य पानी लोगों को पीना पड़ता है। पानी की स्थायी तंगी को दूर करने में अब विलंब बिल्कुल नहीं चलेगा।

वातावरण के प्रदूषण की समस्या पर्यावरणवादियों और वैज्ञानिकों के सामने बड़ी चुनौती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक प्रदूषकों ने ओजोन परत में बड़ा छेद कर दिया है। वाहनों और उद्योगों के प्रदूषण को थामने के लिए शायद ही ध्यान दिया गया है। इस वजह से गर्मी दिनोंदिन बढ़ रही है। बर्फ पिघलने के कारण समुद्र की सतह बढ़ रही है। वनों का विनाश पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाले घटकों में मुख्य है। ३० वर्षों में अमेजन के १५ प्रतिशत वनों का विनाश हो चुका है। वनों में अब दावानल की घटनाएँ आश्चर्यजनक लगती है।

जैव-विविधता प्राकृतिक संतुलन के लिए अत्यंत जरूरी घटना है। लगभग ९००० प्राणियों और वनस्पतियों की जातियाँ विनाश के कगार पर जा पहुँची हैं। विश्व के तापमान में वृद्धि की समस्या अब ज्यादा दूर के भविष्य की नही रही, वरन् आज की बन गई है, ऐसी चेतावनी भी दी जाने लगी है। यह आश्चर्य का विषय है कि पृथ्वी सम्मेलन में दुनिया भर के पर्यावरण का स्पर्श करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा क्यों नहीं होती अमरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल के व्याख्यान के दौरान अमेरिका की जो मद्द उड़ाई गई, वह विकासशील देशों के रोष की प्रतिध्वनि थी।

शिखर सम्मेलन में भारत

विश्व के अधिकांश भाग के विकासशील राष्ट्र अभी प्रकृति और मानव निर्मित गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में विश्व में दूसरे नंबर की सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत विकास की सीढ़ियां चढ़ने में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा है। एक अरब से अधिक लोगों के लिए भोजन की पूरी व्यवस्था करने से लेकर एड्स, मलेरिया जैसे रोगों को काबू में रखने से लेकर ३५ करोड़ से अधिक व्यक्तियों को शिक्षित करने तथा अस्तित्व टिकाये रखने के साथ विकास की समस्या भारत को सता रही है। भारत में हमारे भविष्य का क्या होगा? भारत में घटते जाते भोजन और जल स्त्रोतों का क्या होगा ? क्या हम प्रतिवर्ष २ करोड़ की बढ़ती हुई आबादी के दबाव को झेल सकेंगे? क्या हम २०१५ तक ३२ करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कर सकेंगे? ऐसे अनेक प्रश्न उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

भारत ने इस सम्मेलन के लिए कोई खास तैयारी या गृहकार्य किया हो, ऐसा लगा नहीं। पृथ्वी सम्मेलन के लिए कोई एजेंडा भी नहीं बनाया था। भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल में विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा और वन एवं पर्यावरण मंत्री टी.आर.बालु के अलावा दो भूतपूर्व पर्यावरण मंत्री, दो सांसद, पर्यावरण सचिव, उप सचिव और

नायब सचिवों की विशाल सेना उपस्थित थी। पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में सेंटर फॉर द साइंस एंड एन्वायर्नमैंट की निदेशक सुश्री सुनीता नारायण और अहमदाबाद के ही सेंटर फॉर एन्वायर्नमैंट एज्युकेशन (सी.ई.ई.) के अध्यक्ष श्री कार्तिकेय साराभाई को आमंत्रित किया गया था। विश्व के औद्योगिक देश विकासशील देशों पर कई व्यापारिक अवरोध लादना चाहते थे। भारत के पर्यावरण तथा वनमंत्री श्री टी.आर.बालु के बताया मुताबिक ईको-लेबलिंग के प्रस्ताव को रद्द करवाने में भारत तथा अन्य विकासशील देशों ने सफलता प्राप्त की है। भारत के विदेश मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने अपने भाषण में समृद्ध देशों को उनके द्वारा प्राकृतिक संपत्ति के उपयोग में होने वाले अतिरेक को पृथ्वी के पर्यावरण की हानि हेतु दोषी ठहराया था। विश्व की साधन-सम्पत्ति का सर्वाधिक उपयोग गरीब नहीं वरन् धनिक करते हैं।

उन्होंने बताया कि औद्योगिक देश विकासशील देशों से होने वाले आयात पर जो कर लाद रहे है वह अन्य औद्योगिक देशों में से होने वाले आयात की बजाय चार गुना है। विश्व के २८ करोड़ गरीबों की प्रति व्यक्ति रोजाना की आय दो डालर से भी कम होने की बात बताते हुए उन्होंने गरीबों व धनिकों के बीच के बड़े अंतर की जानकारी दी। संक्षेप में, विश्व की गरीबी के लिए समृद्ध देश उत्तरदायी हैं, यह बात उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताई थी। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने भारत से आए सरकारी व गैर सरकारी प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें भारत सरकार के टिकाऊ विकास कार्यक्रम संबंधी प्रयासों की सभी को जानकारी दी गई थी, और गैर सरकारी प्रतिनिधियों से भारत के टिकाऊ विकास में प्रयासों के बारे में अपने मंतव्य बताने को कहा था। सभी सदस्य सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नहीं थे।

शिखर सम्मेलन के परिणाम

१९९२ में रियो डी जेनेरो में आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ११७ देशों के अध्यक्ष उपस्थित थे। इस बार १०४ देशों के अध्यक्ष जोहानिसबर्ग में आये, यह दुर्भाग्य की बात है। पर्यावरण के प्रति उदासीनता का यह स्पष्ट उदाहरण है।

जोहानिसबर्ग में एकत्रित हुए विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा कोई नये ग्रह का निर्माण हो सके, ऐसा नहीं है। परंतु उन्होंने कई मुद्दों की प्राथमिकता के लिए सहमति व्यक्त की है। कार्बन डायोक्साइड के उत्सर्जन - स्तर को कम करने संबंधी क्योटो संधि की कानूनी बाध्यता को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। कार्बन डायोक्साइड के कुल वैश्विक उत्सर्जन का २५ प्रतिशत उत्सर्जन करने वाला अमेरिका इस संधि के प्रति २०१२ तक सहमति देगा, ऐसा बताया गया है। दूसरी महत्व की बात यह है कि विकसित राष्ट्रों के बाजारों में प्रवेश के लिए विकासशील देशों को जो व्यापार अवरोध पीड़ित कर रहे हैं, वे तत्काल दूर होने चाहिए, तभी विकासशील राष्ट्रों का विकास द्रुत गति से हो सकेगा। अर्थ समिति २००२ के किसी ठोस परिणाम के प्रति विश्वास का अभाव व्याप्त रहा है, परंतु आशा की जानी चाहिए कि समग्र मानव जाति एक दिन भूतकाल में दृष्टिपात करके पृथ्वी सम्मेलन २००२ को याद करे कि सम्मेलन से वचनों को आचरण में ढालने की शुरूआत हुई थी। सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि घोषणा पत्र में दर्शाए गये मुद्दों का पालन करने के लिए कोई भी देश बंधा हुआ नहीं। इसका मात्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक महत्व ही है। पर्यावरण प्रेमी जोहानिसबर्ग घोषणा से असंतुष्ट हैं।

दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हाल ही में सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणाम विश्व के विकासशील देशों के लिए निराशाजनक रहे हैं। इस सम्मेलन में किसी ठोस निर्णय का अनुरोध नहीं किया गया है। गत दस वर्ष में पर्यावरण तथा गरीबी जैसी समस्यायें अधिक गंभीर होने के कारण इनके समयबद्ध निराकरण के उपायों के बारे में सर्वसम्मति बनाई जा सकेगी, ऐसी अपेक्षा रखी गई थी, परंतु वह पूरी नहीं हुई। इस सम्मेलन के अंत में जो कदम घोषित किये गए हैं, वे पर्याप्त नहीं - ऐसी समीक्षकों की टिप्पणी है। आगामी दस वर्ष हेतु तैयार किये गए कार्यक्रम के मुद्दे में दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के प्रशासन तंत्र का हाथ ऊपर रहा है। जोहानिसबर्ग घोषणा में विश्व के दो अरब गरीबों को उनकी यातना से बाहर लाने का जिक्र किया गया है। इसके उपरांत विश्व के पर्यावरण पर जहाँ विपरीत प्रभाव पड़ा है, उसे दूर करके सतत विकास को चालू रखने पर बल दिया गया है। विश्व के धनिकों और गरीबों के बीच तथा विकसित और विकासशील देशों के बीच का बढ़ता जाने वाला अंतर विश्व की समृद्धि और सुरक्षा हेतु सबसे बड़ा खतरा है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' लगभग प्रति वर्ष मजदूरों की समस्याओं के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित करता है। इस वर्ष आयोजित सम्मेलन में अनौपचारिक अर्थतंत्र में उचित रोजगार विषय पर जो चर्चाएँ और प्रस्तुति हुई, उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है।

प्रस्तावना

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन की ९०वीं बैठक ४ जून से २१ जून २००२ के दौरान जिनेवा में आयोजित की गई थी। बैठक का विषय था: 'अनौपचारिक अर्थतंत्र में उत्तम रोजगार'। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (इंटरनेशनल लेबर ओर्गेनाइजेशन - आइ. एल. ओ.) द्वारा चालू वर्ष में जो विवरण जारी किया गया है, उसमें जो छः मुख्य विषय बताये गये हैं, उनमें से एक विषय अनौपचारिक अर्थतंत्र में उत्तम रोजगार से संबंधित है। दुनिया भर से लगभग २००० प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेने आये थे। उनमें मजदूरों, सरकारों व मालिकों - इन तीनों समूहों के प्रतिनिधियों का समावेश था। अनौपचारिक अर्थतंत्र हेतु अधिक उत्तम उपाय ढूंढ निकालने और विषय की विस्तार से चर्चा करने के लिए इन तीनों समूहों का समावेश हो, ऐसा ढाँचा खोज निकाला गया था।

अनौपचारिक क्षेत्र

मजदूरों के समूह द्वारा जो चर्चा हुई, उसमें अध्यक्ष के रूप में क्रिस्टाइन नेथान विद्यमान थे। उनमें समूह में भाग लेने वालों में आइ. सी. एफ. टी. यू. (इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर फ्री ट्रेड यूनियन्स) के ड्वाइट जस्टिस और आइ. एल. ओ. की सुश्री फेथ भी शामिल थी। परिषद में जो चर्चा हुई, वह आइ. एल. ओ. द्वारा प्रदत विवरण में से निम्न छः मुद्दों पर हुई:

(१) धंधा करने वाले या रोजगार देने वाले मालिक या अन्य लोगों की जरूरतें पूरी हों, इस तरीके से मजदूरों की रक्षा संबंधी आधार के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र या अनौपचारिक अर्थतंत्र की वर्तमान संकल्पना क्या वाकई पर्याप्त है?

(२) आर्थिक इकाइयों और संबंधित मजदूरों की परिस्थिति के सकारात्मक या नकारात्मक मुख्य लक्षण या पहलू कौन - कौन से हैं?

(३) इस प्रवृत्ति में शामिल होने के या इस परिस्थिति में काम करने के कारण कौन - कौन से कौन से हैं? मुख्य धारा में अथवा औपचारिक आर्थिक या सामाजिक रक्षा व्यवस्था में प्रविष्ट होने में बाधक कौन - कौन से अवरोधक हैं?

(४) कौन से साधन अर्थात् कौन सी नीतियां, संस्थाएँ, प्रक्रियाएँ आदि इस परिस्थिति का श्रेष्ठ तरीके से सामना कर सकती हैं? रोजगार - सृजन जारी रखते समय इन अवरोधों को कैसे पार किया जा सकता है?

(५) राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, मालिकों और मजदूरों में संगठन की इस परिस्थिति में क्या भूमिका होगी? मजदूरों, मालिको व धंधा करने वाले अन्य लोगों की जरूरतों को पूरा करने की क्या क्या चुनौतियां है और उनमें कैसा योगदान दिया जा सकता है?

(६) आइ. एल. ओ. की नीति, शोध और तकनीकी मदद हेतु क्या प्राथमिकताएँ होनी चाहिए ताकि उत्तम काम का सम्पूर्ण लक्ष्य सिद्ध हो सके?

विविध सुझाव

इस बैठक में मजदूरों की समस्याओं के बारे में विविध सुझाव दिये गये हैं। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने अपने देशों की स्थिति के विषय में भी प्रस्तुतियां दी।

इंडोनेशिया के प्रवक्ता ने कहा कि ७० प्रतिशत इंडोनेशिया वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है और उसे अब संगठित करने की जरूरत है। तंजानिया के प्रवक्ता ने कहा कि तंजानिया में 90 प्रतिशत आबादी अनौपचारिक क्षेत्र में है। उसकी स्थिति सुधारने के लिए तीन बातों पर बल देना जरूरी है: (१) कानूनी ढांचा खड़ा करना (२) लघु ऋण उपलब्ध करना (३) सूचना, तकनीकी और बाजार प्राप्ति योग्य बनाना।

फिनलैंड की सुश्री हीली ने कहा कि अनौपचारिक क्षेत्र हेतु सबसे महत्त्वपूर्ण बात रोजगार सृजन की है। अनौपचारिक क्षेत्र की रचना ही ऐसी है कि उससे उसे संरक्षण नहीं मिलता। इस क्षेत्र के लिए कोई नीति नहीं गढ़ी जाती। फिर वैश्विकरण ने अनौपचारिक क्षेत्र को विपरीत दिशा में ही धकेला है। इस लिए अनौपचारिक अर्थतंत्र की रक्षा हेतु कानूनी ढांचे की जरूरत है।

भारत की प्रतिनिधि सुश्री रेनाना झाबवाला ने कहा की मजदूरों की समस्याओं पर ही मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। उस संदर्भ में पांच मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं:

(१) हमें मजदूरों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। हमें अनौपचारिक क्षेत्र के संदर्भ में नहीं, वरन् मजदूरों की स्थिति के बारे में चिंता करनी चाहिए।

(२) हम अनौपचारिक क्षेत्र के साथ वैश्विकरण का संबंध किस तरह जोड़ें?

(३) अनौपचारिक क्षेत्र गरीबी का कारण है।

(४) सरकार को निरंतर रोजगार सृजन के विषय में सोचना चाहिए। रोजगार और रक्षा का सह-अस्तित्व हो सकता है। इन दोनों के बीच विरोध होना जरूरी नहीं।

(५) अनौपचारिक क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा मजदूरों को संगठित करना है।

इटली की सुश्री कलारा ने बताया कि हमारे बीच रक्षित और अरक्षित मजदूरों तथा स्वरोजगार प्राप्त करने वाला और कोई कानूनी ढांचा न रखने वाले मजदूरों आदि के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। अनौपचारक क्षेत्र के मजदूरों की गरीबी और रोजगार सृजन के बीच के संबंध के बारे में भी स्पष्टता होनी जरूरी है। घाना की सुश्री हन्नाह ने सरकार की भूमिका और उचित सरकारी नीतियों पर बल दिया था। आइ. सी. एफ. टी. यू. की ड्वाइट जस्टिस ने अनौपचारिक क्षेत्र पर बल दिया और कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि आइ. एल. ओ. की प्रवृत्ति इसमें किस तरह काम करती है।

खुली बैठक में चर्चा

मालिकों, सरकार तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में चर्चा की। मालिकों के प्रतिनिधि ने अपने प्रवचन में कहा था कि १९९७ से अनौपचारिक अर्थतंत्र के बारे में कोई सकारात्मक हल ढूँढने का प्रयत्न नहीं किया गया। कोई निश्चित कदम नहीं उठाये गए। इस संदर्भ में निम्न मुद्दे ध्यान में रखने चाहिए:

(१) मालिकों के साथ अनौपचारिक क्षेत्र के संबंध की उपेक्षा नहीं कर सकते। कई नीति विषयक मुद्दे खड़े होतें है, जिनके बारे में नीतियां बनानी चाहिए।

(२) सरकार को अनौपचारिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

(३) अनौपचारिक क्षेत्र पर वैश्विकरण का विशेष प्रभाव पड़ रहा है। इस संदर्भ में भी सरकार को उचित नीतियां बनानी चाहिए।

मजदूरों के प्रतिनिधियों ने कहा कि आइ. एल. ओ. की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहा है। परंतु मजदूरों को संरक्षण न मिल पाने की समस्या महत्त्वपूर्ण है। उनको बाजार, तकनीकी और जानकारी नहीं मिलती, इससे वे एक और फेंक दिये जाते हैं। इन मजदूरों की स्थिति सुधरे, उनके लिए कानूनी तंत्र अनुकूल बने और संस्थागत ढाँचे सुधरे, यह जरूरी है। इसके लिए आइ. एल. ओ. द्वारा उचित भूमिका अदा की जानी चाहिए। सरकार के विकासपरक ध्येयों में अनौपचारिक क्षेत्र नहीं आता। अतः यथार्थ में तो सरकार को उन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मजदूरों के लिए कानूनी दर्जा महत्व का विषय है।

असंगठित मजदूरों के लिए एक दिवास्वप्न

असंगठित मजदूरों संबंधी मजदूरी कानून की १५-१६ जून २००२ को जिनेवा में होने वाली परिषद में १७ देशों प्रतिनिधियो के भाग लिया था। उसमें श्री धीमंतभाई एस. वसावडा ने 'सेवा' संस्था के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तब वहां उन्होंने जो भाषण दिया था, उसके महत्त्वपूर्ण मुद्दे निम्नानुसार हैं:

असंगठित मजदूरों को मजदूरी कानून के लाभ नहीं मिलते, ऐसा 'सेवा' का अनुभव है। मालिक सरकार के कानून का सरेआम उल्लंघन करते हैं। पटेल जीवरामभाई बीडी वर्क्स का उदाहरण दें तो इस बारे में कुछ बहुत करना शेष है। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने जो बीड़ी मजदूर घर पर बीड़ी बनाते थे, उनको अंतरिम आदेश से

प्रोविडेंट फंड का लाभ देने और उनकी राशि जमा कराने का आदेश दिया। ऐसा आदेश होने के बावजूद इस आदेश का क्रियान्वयन प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या 'सेवा' नहीं करा सकती, और अनेक सवाल खड़े हुए हैं। यदि मजदूर संघ ऐसे आदेश के पालन हेतु आग्रह रखे तो कार्मिकों की नौकरी जाती है और उन्हें भूखा मरना पड़ता है। अतः यूनियनें भी कानून और कोर्ट के आदेश के बावजूद अनुपालना के लिए संघर्ष करती हैं।

मजदूर और मालिक के संबंधों के लिए भी असंगठित क्षेत्र में बहुत अधिक सुधार करने और परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र में भी अत्यंत संभाव्य फैसले दिये हैं।

सरसपुर मिल्स, रमणलाल चिमनलाल और अन्य के केस में १९७३ में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी की व्याख्या का विवेचन करके प्रस्तावित किया कि वस्त्र सूती मिल में सहकारी मंडल द्वारा चलने वाली मंडली के मजदूर भी मिल के कर्मचारी हैं और इन लोगों को भी मिल के कर्मचारियों की भांति सभी लाभ दिये जाने चाहिए। इसी भांति सिल्वर जुबिली टेलर हाउस और अन्य तथा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप एंड एस्टेब्लिशमैंट और अन्य के केस में १९७३ में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावित किया कि जो मालिक अंतिम उत्पादित वस्तु का अस्वीकार कर सकता है, तो एसे मामले में जिन मजदूरों ने उत्पादन बनाने की मजदूरी की है, उन लोगों को संस्था के कर्मचारी गिना जा सकता है। इसी भांति हसनभाई कालीकट और अलाथ फेक्टरी योजी लारी यूनियन कालीकट तथा अन्य के केस में १९७८ में सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया की जो मजदूर-समूह अथवा मजदूर किसी भी रूप में संस्था जो उत्पादन करती है, उसके उत्पादन में मजदूर के रूप में योगदान देता है तो वे मजदूर भी संस्था के मजदूर गिने जाएंगे।

हाल ही में एस. के. नसीरुद्दीन बीडी मरचेंट लि. और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और अन्य के २००१ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के आदेश को मान्य रखा और घर पर बीड़ी बनाने वाले मजदूरों को भी संस्था का मजदूर ठहराया। इसी भांति असंगठित मजदूरों के उद्धार के लिए और उन्हे तत्काल लाभ दिलाने के उद्देश्य से निम्नानुसार सुझाव दिये जा सकते हैं:

(१) मजदूर कानून में सुधार

मजदूर/ कर्मचारी की व्याख्या में प्रत्येक मजदूर कानून में सुधार करना चाहिए और कांट्रेक्टर अथवा घर बैठे मजदूर, अंशकालीन मजदूरों, कामचलाऊ मजदूरों का भी समावेश करना चाहिए। इन तमाम कानूनों में ऐसी एक अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे मजदूरों को निकालने से पहले किसी सरकारी अधिकारी या अन्य अधिकारी की इजाजत लेनी चाहिए।

(२) लघुतम वेतन

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था के सदस्य देशों ने न्यूनतम वेतन नियम बनाया है। परंतु इस दिशा में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। न्यूनतम वेतन तय करने में भी बहुत विलंब होता है। न्यूनतम वेतन तय होने के बाद जो सार्वजनिक सूचना निकलती है, उनको अदालत में चुनौती दी जाती है।

लघुतम वेतन तय होने के बाद सार्वजनिक सूचना का अमल भी एक दिवास्वप्न हो जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो सरकारी अधिकारी उसका क्रियान्वयन करने का प्रयत्न करते हैं, वे उसका निष्ठापूर्वक अमल नहीं करते। अतः ऐसा सुझाव दिया जा सकता है कि इस उस मजदूर संगठन के कार्यकर्त्ताओं को क्रियान्वयन का अधिकार दें।

(३) निवृत्ति के लाभः

(अ) प्रोविडेंट फंड

प्रोविडेंट फंड का कानून अमल में होते हुए भी असंगठित मजदूरों को प्रोविडेंट फंड का लाभ नहीं मिलता। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो इस कानून के क्रियान्वयन का सत्ताधारी अधिकारी है, उसके पास पर्याप्त व्यवस्था तंत्र नहीं है। असंगठित मजदूरों में इससे एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि भविष्य को निश्चित बनाने वाला यह कानून महज कागजी शेर है। इसलिए जिस तरह से प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को सत्ता दी गई है, वैसी सत्ता मजदूर कार्यकर्त्ताओं और मजदूर संगठनों को भी दी जानी चाहिए।

यहां यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि प्रोविडेंट फंड कमिश्नर प्रोविडेंट फंड कानून का क्रियान्वयन करने के लिए यदि यूनियनों और मजदूरों से आग्रह रखता है तो संबंधित कर्मचारी को उसके मालिक नौकरी से निकाल देते है। अतः किसी भी कर्मचारी को

निकालने से पहले प्रोविडेंट फंड कमिश्नर तथा औद्योगिक झगड़ों के कानून के अंतर्गत गठित अधिकारियों की स्वीकृति लेने के बाद ही निकालने की छूट मिले, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(आ) पेंशन योजनाः

प्रोविडेंट फंड के कानून के अंतर्गत मिलने वाले लाभ अपर्याप्त लगते हैं। अतः सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए और असंगठित मजदूरों के लिए एक अलग पेंशन योजना शुरू करनी चाहिए।

(इ) ग्रेच्युटीः

ग्रेच्युटी भी निवृत्ति का लाभ है। यह लाभ भारत की लोकसभा ने ग्रेच्युटी कानून १९७२ पारित करके कर्मचारियों को प्रदान किया था। परंतु असंगठित मजदूर इस कानून का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, अतः असंगठित मजदूरों हेतु भी लोकसभा को पृथक कानून पारित करना चाहिए, ऐसा सुझाव है।

उपर्युक्त सभी निवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार को एक कोष स्थापित करना चाहिए। इस कोष में संबंधित उद्योग के मालिकों को जो आमदनी हो, उसमें से बराबर राशि काट लेनी चाहिए, और इस प्रकार प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ग्रेच्युटी फंड सरकार को स्थापित करना चाहिए और उसके क्रियान्वयन के लिए एक क्रियान्वयन समिति गठित करनी चाहिए। इस समिति के निम्न सदस्य होने चाहिएः

(१) सरकारी अधिकारी (आइ. ए. एस. स्तर का)
(२) मालिकों का प्रतिनिधि
(३) कर्मचारियों का प्रतिनिधि

इस समिति को सभी कानूनों का क्रियान्वयन करना चाहिए, ताकि असंगठित मजदूरों को सभी लाभ मिलें।

पृष्ठ 8 का शेष भाग

सहायता प्रदान करना। ऐसी सहायता व्यक्तिगत स्तर पर तथा सामूहिक स्तर पर भी हो सकती है।

(३) राज्य से अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों की समाजिक सुरक्षा की योजनाएँ मांगना और उनका क्रियान्वयन कराना। उदाहरणार्थ न्यूनतम वेतन, दुर्घटना मुआवजा, बीमा जैसी कानूनी व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन कराना। महिलाओं हेतु विशेष योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न करना। अनेक समूह और मजदूर मंडल भी ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रवृत्त हैं और उन्हें अधिक सबल बनाने की जरूरत है।

(४) स्त्री-पुरुष के श्रम विभाजन को ध्यान में लाना तथा क्षमता वृद्धि एवं कल्याण संबंधी विविध योजनाओं का क्रियान्वयन महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव को दूर करने संबंधी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए करना व कराना।

(५) सेवा के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में तथा श्रम की आपूर्ति के क्षेत्र में सहकारी मंडलियां और स्व-सहाय समूह बहुत उपयोगी साधन हैं। वे अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों की समझौता-शक्ति मुक्त बाजार के संदर्भ में बढ़ाती है।

(६) प्रशिक्षण, पुनः प्रशिक्षण और कौशल वृद्धि में अनौपचारिक क्षेत्र के कार्मिकों हेतु और विशेष रूप से महिला कार्मिकों हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं। बदलते औद्योगिक वातावरण और टैक्नोलोजी के संदर्भ में तथा भावी संभावनाओं के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

(७) श्रम बाजार में अनौपचारिक क्षेत्र के कार्मिकों और महिला कार्मिकों को मजबूत बनाने की व्यूह रचनाओं की जितनी जरूरत है, उतनी ही जरूरत बाजार के बाहर जो संभावनाएँ विद्यमान हैं, उन्हें भी उजागर करने की है। समुदाय आधारित आर्थिक प्रवृत्तियों, उद्यमों और उद्योगों को मजबूत बनाया जा सकता हैं, साथ ही सामुदायिक रीति से जीवन जीने की विविध पद्धतियों को भी मजबूत किया जा सकता है।

(८) अनौपचारिक क्षेत्र के कार्मिकों और विशेष रूप से महिला कार्मिकों हेतु मजदूर मंडल स्वनिर्भर होने चाहिए। सदस्यों पर आधारित होने चाहिए तथा उनमें प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र का तत्व भी होना चाहिए।

संदर्भः

(१) एशियन वीमेन इन इंफोर्मल वर्क, कमेटी फॉर एशियन वीमेन, बैंकाक, नवंबर २००१.

(२) वीमेन वर्क इन द इंफोर्मल इकोनोमी एंड ओर्गेनाइजेशनल चैलेंजेजः ए पर्सपैक्टिव, कमेटी फॉर एशियन वीमेन, बैंकाक, नवंबर २००१.

(३) अर्बन इन्फोर्मल सेक्टर, जी.आइ.डी.आर. - अहमदाबाद और सेवा - अहमदाबाद, अगस्त १९९९, लेखकः उमा राणी और जीमोल उन्नी।

(४) साइज, कान्ट्रिब्यूशन एंड केरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फोर्मल एम्प्लोयमैंट इन इंडिया, जी.आइ.डी.आर. - अहमदाबाद, जनवरी २००२ लेखकः जीमोल उन्नी।

पर्यावरणीय लोक सुनवाई

औद्योगिक परियोजनाएं पर्यावरण के साथ सुसंगत बनें और लोग उनके बारे में जानें, इसके लिए लोक सुनवाई, की पद्धति शुरू हुई है। इस पद्धति संबंधी विवरण 'सामाजिक न्याय केन्द्र' के **श्री महेश पंड्या** द्वारा इस लेख में दिया गया है। कानूनी व्यवस्थाएँ जानने के लिए यह लेख बहुत उपयोगी होगा।

प्रस्तावना

आज विश्व औद्योगिक क्षेत्र में बहुत आगे है। भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों ने भी औद्योगिक क्षेत्र में छलांग लगाई है। सदियों से चली आई वैश्विक समाज व्यवस्था के मुताबिक कुछ वर्ग बहुत विकसित हुए हे। इसी प्रकार अविकसित और विकासशील देशों में भी कई लोगों की समृद्धि दूसरे लोगों की कीमत पर होती है। समग्रतया देखें तो कुल नुकसान प्रकृति को हो रहा है। उसकी वजह से वैश्विक पर्यावरण संकट में पड़ा है। अल्प अवधि का यह विकास कब तक टिकेगा? समृद्ध देशों और समृद्ध लोगों के पास प्राकृतिक संपत्ति ही नहीं बचेगी तो वे किस पर राज करेंगे? यही नहीं, वे किस तरह जी सकेंगे?

विश्व में बीसवी सदी के सातवें दशक से पर्यावरण का विचार उत्पन्न हुआ। १९७२ में स्टॉकहोम में प्रथम विश्व शिखर परिषद में पर्यावरण की चिंता की शुरूआत हुई। भारत पर्यावरण के संरक्षण के लिए कानूनी दृष्टि से अग्रणी रहा है। विश्व की तुलना में भारत में अलग से पर्यावरण मंत्रालय शुरू हुआ। पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण के कानून भी मजबूती से बनाये गए। परंतु सवाल उनके प्रभावी क्रियान्वयन और कानूनों की व्याख्या का है। कानूनों के दांवपेच ऐसे जटिल हैं कि उन्हें सामान्य लोग नहीं समझ पाते। अतः कानून होते हुए उनका उपयोग करना कठिन हो जाता है।

सर्वप्रथम जल प्रदूषण को पहचान लेने के बाद उसके नियंत्रण के लिए जल (प्रदूषण रोक एवं नियंत्रण) अधिनियम १९७४ अमल में आया। उसके पश्चात् वायु प्रदूषण रोकने के बारे में वायु प्रदूषण अधिनियम (प्रदूषण रोक एवं नियंत्रण) १९८१ अमल में आया।

इस प्रकार विविध प्रकार के प्रदूषणों को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित करने के लिए एक सर्वांगीण अधिनियम बनाया गया - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६। यह अधिनियम पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करने और उससे जुड़ी बातों की व्यवस्था करने के लिए बनाया गया। इस अधिनियम में कालांतर में परिस्थिति के मुताबिक संशोधन होते रहे हैं। उद्योग अब शहरों में सीमित न रह कर गांवों में स्थापित किये जा रहे हैं। गांव के लोग सीधे-सीधे उद्योगों के नफे- नुकसान समझ रहे हैं। इसलिए किसी भी उद्योग को पर्यावरणीय स्वीकृति देने से पूर्व लोगों के विचार जान कर उनकी शर्तों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाती है। १९८६ के पर्यावरण की संरक्षण अधिनियम के अनुसार १९९७ में पर्यावरणीय लोक सुनवाई की पद्धति को अनिवार्य बनाया गया।

१९८६ के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार केन्द्र सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय उद्योगों को प्रोजेक्ट के ई.आई.ए.(एन्वायर्नमेंट इम्पेक्ट एसेसमैंट) तथा ई.एम.पी. (एन्वायर्नमैन्ट मैनेजमैंट प्लान) के आधार पर पर्यावरण स्वीकृति देता था।

१० अप्रैल १९८७ को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक घोषणा की। उसमें प्रदूषण करने वाले तीस प्रकार के नये स्थापित उद्योगों और वर्तमान उद्योगों के विस्तार हेतु पर्यावरणीय लोक सुनवाई की पद्धति शुरू की गई।

गांव में आने वाले / स्थापित होने वाले उद्योगों का प्रभाव ग्रामवासियों से लेकर सभी पर व्यापक तरीके से पड़ता है। उद्योगों की वजह से गांव निवासियों के स्वास्थ्य, पशु-स्वास्थ्य, खेती, भूमि, जल स्रोत आदि पर प्रभाव पड़ रहा है। अतः उद्योग स्थापित करने का मामला सिर्फ उद्योगपतियों ओर सरकार के बीच का न रहकार उसके निर्णय में लोगों को सहभागी बनाया जाए, यह जरूरी है। ऐसे आदर्श विचार

आखिर एक दिन में १९ उद्योगों की सुनवाई होकर ही रही!

प्रदूषित इकाइयों की सूची में आने वाले उद्योगों की स्थापना या विस्तृतीकरण प्रोजेक्ट हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। परंतु इससे पहले उद्योगों पर्यावरणीय लोक सुनवाई की प्रक्रिया में से गुजरना जरूरी है। सामाजिक न्याय केन्द्र विगत तीन वर्ष से स्थानीय लोगों, पंचायतों और स्वैच्छिक संगठनों को साथ रखकर पर्यावरणीय लोक सुनावाई पद्धति को प्रभावी बनाने सघन प्रयास करता है।

२२ व २३ फरवरी २००२ के अखबारों की सार्वजनिक सूचना के अनुसार दिनांक २७-३-२००२ के दिन अहमदाबाद के कलेक्टर कार्यालय में कुल २३ उद्योगों की लोक सुनवाई एक ही दिन में रखी गई है, ऐसा विज्ञापन किया गया था। अहमदाबाद के वटवा, ओढ़व और नरोडा स्थित १९ उद्योगों की सामूहिक जन-सुनवाई दोपहर १२ बजे शुरू होनी थी। बाद में उसी दिन दोपहर दो बजे साणंद और बाबला स्थित चार अन्य उद्योगों की जन सुनवाई होनी थी। अतः दोपहर बारह बजे से दो बजे तक १९ लोक सुनवाइयां और दो बजे के बाद और चार सुनवाइयां आयोजित करनी तय थी। अखबारों की इस सार्वजनिक सूचना के बाद बहुत दुःख हुआ। यह पढ़कर स्पष्ट लगा कि पर्यावरण लोक सुनवाई संबंधी गुजरात उच्च न्यायालय के आदेशों की उपेक्षा की जा रही है।

सामाजिक न्याय केन्द्र ने सत्ताधिकारियों को २५.२.२००२ को पत्र लिखा, जिसमें मुख्य बातें ये थीः

(१) एक दिन में २३ सुनवाइयां करने से लोक सुनवाई का प्रयोजन मारा जाएगा।

(२) ओढ़व, नरोडा, वटवा, बावला, साणंद के लोगों की उपस्थिति के लिए कलेक्टर कार्यालय का सभागार छोटा पड़ेगा।

(३) बावला और साणंद तहसील के उद्योगों की लोक सुनवाइयां माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उसी तहसील केन्द्र पर आयोजित की जाएँ।

(४) नरोडा, ओढ़व, वटवा और प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों में ही लोक सुनवाई की जाए ताकि प्रभावित होने वाले लोग अपनी बात कह सकें।

उपर्युक्त पत्र का उत्तर न मिलने पर ८.३.२००२ को पत्र लिखकर फिर से अनुरोध किया गया। तदुपरांत १८.३.२००२ को अहमदाबाद कलेक्टर और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रादेशिक अधिकारी के साथ इस संदर्भ में फोन पर बातें की। तदुपरांत २१.३.२००२ को अखबारों द्वारा संशोधित समाचार छपा। उसके अनुसार दिनांक २७.३.२००२ को होने वाली साणंद और बावला तहसीलों के उद्योगों की लोक सुनवाई का स्थान व समय बदल कर २८.३.२००२ को तहसील मुख्यालय रखे गए हैं। परंतु इनके अलावा १९ उद्योगों की जन सुनवाई तो एक ही दिन अहमदाबाद में रखी गई। ये १९ लोक सुनवाइयां एक ही दिन आयोजित करना उचित नहीं, क्योंकि इसके लिऐ गुणवत्ता के आधार पर हमारा विरोध है। क्योंकि हमारे और साथी स्वैच्छिक संगठनों के अनुभव के अनुसार एक उद्योग की जन सुनवाई के पीछे लगभग दो घंटे का समय खर्च होता है। तब १९ उद्योगों की सुनवाई चार-पांच घंटों में कैसे संभव है? इसके अलावा हमारे इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया कि अहमदाबाद के सामुदायिक दंगों के वातावरण में लोक सुनवाई आयोजित करना उचित नहीं, अलबत्ता, एक दिन पहले सार्वजनिक सूचना द्वारा लोक सुनवाई का स्थान कलेक्टर कार्यालय बदल कर वटवा ले जाया गया। वटवा में २७.३.२००२ को शहर की अशांत स्थिति के बीच आयोजित इस जन सुनवाई में लोग ही नहीं थे। स्वैच्छिक संगठन के नाते 'सामाजिक न्याय केन्द्र' तथा तीन चार नागरिक उपस्थित थे, शेष उद्योग गृहों के प्रतिनिधियों से सभागार ठसाठस भरा था।

इस केस में हमने गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय से प्रार्थना की, तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिये कि जो लोग जन सुनवाई में हाजिर नहीं थे, उनको १२ अप्रैल तक लिखित रूप में अपने एतराज/सुझाव कलेक्टर कार्यालय अहमदाबाद या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गांधीनगर को भेज देने हैं। इस प्रकार लोक सुनवाई के आदर्शों, भावना, लोक भागीदारी, पारदर्शिता, सूचना के अधिकार का खुलेआम नियमों में रहते हुए मजाक उड़ाया गया। यदि अच्छे वातावरण में २७.३.२००२ की वटवा की लोक सुनवाई आयोजित की गई होती, और यदि अधिक संख्या में लोगों ने भागीदारी की होती तो अवश्य ही इस लोक सुनवाई के लिए कम से कम तीन दिनों का समय लगा होता। लोगों को अपनी समस्याएँ प्रस्तुत करने का अवसर मिला होता। जब कि दिनांक २८.३.२००२ को बावला और साणंद की लोक सुनवाई में प्रभावित होने वाले लोगों ने भाग लिया। इस सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग जुड़े तो यह सुनवाई काफी लंबे समय तक चली थी।

को ध्यान में रखकर १९८६ के कानून के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हासिल करने से पहले पर्यावरणीय लोक सुनवाई का अनिवार्य बनाया गया है। इस प्रकार, उद्योगों हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने से पहले ही प्रदूषण न फैलाने और प्रदूषण नियंत्रण हेतु कदम उठाने के लिए पर्यावरणीय लोक सुनवाई नामक नई पद्धति भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से ने शुरू की है। यह संभवित चिंता रखने वाले सभी प्रभावित लोगों को निर्णय में भागीदार बनाने की आदर्श पद्धति है।

परंतु अनुभव बताता है कि लोक भागीदारी की आदर्श इस कानूनी व्यवस्था को भी सरकारी तंत्र और उद्योगों के द्वारा खोखला बनाया जा रहा है। अध्ययन और अनुभव से इस पद्धति को प्रभावी तथा लोकाभिमुखी बनाया जाए, इसके लिए हमने सघन प्रयत्न शुरू किया है। लोगों, स्वैच्छिक संगठनों, पर्यावरणविदों, सरकारी तंत्र आदि को सहभागी बनाकर प्रक्रिया को असरकारक बनाने के साथ-साथ कानून में विद्यमान कमियों और अपूर्णताओं को दूर करने के लिए गुजरात के उच्च न्यायालय का सहारा लिया। उच्च न्यायालय ने सीमा-चिह्न स्वरूप फैसले द्वारा सरकार व गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को महत्त्वपूर्ण आदेश दिये हैं।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के नियम-५ के उपनियम ३(ए) के परिशिष्ट-१ में निर्देशित सभी ३० प्रकार के उद्योग स्थापित करने या उनके विस्तार के लिए पर्यावरणीय सहमति अनिवार्य बनाई तथा इन उद्योगों को अनिवार्य पर्यावरणीय लोक सुनवाई से गुजरना पड़े व लोक सुनवाई के अभिप्राय के आधार पर ही पर्यावरणीय सहति प्रदान करने की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की।

पर्यावरणीय लोक सुनवाई की प्रक्रिया और तंत्र

लोक सुनवाई की सूचना

किसी उद्योग या प्रोजेक्ट के बारे में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय लोक सुनवाई आयोजित करने संबंधी सूचना लोक सुनवाई के ३० दिन पूर्व संबंधित क्षेत्र में प्रचुर प्रसार वाले कम से कम दो वर्तमान पत्रों में प्रकाशित की जाती है। इनमें से एक पत्र स्थानीय भाषा का और एक अंग्रेजी भाषा का होना चाहिए। राज्य / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सार्वजनिक सूचना में लोक सुनवाई की तिथि, समय, स्थान आदि की सूचना दी आती है। सार्वजनिक सूचना प्रसारित होने के ३० दिनों में संबंधित उद्योग के बारे में सुझाव, विचार, मतंव्य शुभचिंतकों - हितैषियों से मंगाये जाते हैं। पर्यावरणीय लोक सुनवाई के समय भी रूबरू में उद्योग और उससे संबंधित पर्यावरण के बारे में अनुरोध किया जा सकता है। पर्यावरणीय लोक सुनवाई की सार्वजनिक सूचना में उद्योग के बारे में कार्यकारी सारांश अर्थात् उद्योग द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उन प्रभावों को समाप्त करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जाएंगे, इसकी संक्षित जानकारी कहां से मिल सकती है, उसकी भी जानकारी होती है।

उद्योग या प्रोजेक्ट के बारे में कार्यकारी सारांश कहां से प्राप्त किया जा सकता है?

(१) जिला कलेक्टर के कार्यालय
(२) जिला उद्योग केन्द्र
(३) राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग
(४) जिला पंचायत/ म्युनिसिपल कोर्पोरेशन कार्यालय
(५) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालय।

पर्यावरणीय लोक सुनवाई में निवेदन कौन कर सकता है?

स्थानीय लोग, पर्यावरणीय समूह, उद्योग के सूचित स्थान के समीप रहने वाले लोग, उद्योग स्थापित किये जाने से संभावित प्रभावित होने वाले लोग, कोई भी शुभचिंतक जन सुनवाई में भाग ले सकता है। ये समूह या व्यक्ति जन सुनवाई से पूर्व भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उद्योग के पर्यावरण से संबंधित निवेदन लिखित में कर सकते हैं।

लोक सुनवाई संबंधी समिति

(१) कलेक्टर - समिति का अध्यक्ष
(२) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रादेशिक अधिकारी - सदस्य सचिव
(३) सरकार के विविध विभागों यथा वन विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, गुजरात विद्युत बोर्ड आदि के प्रतिनिधि।
(४) स्थानीय स्वशासी संस्थाओं यथा नगर पंचायत या म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष - तीन से अधिक प्रतिनिधि नहीं।

(५) जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त वरिष्ठ नागरिक - तीन से अधिक नहीं।

पर्यावरणीय लोक सुनवाई का स्थल

सामान्यतया जिला मुख्यालय पर लोक सुनवाई आयोजित की जाती थी, परंतु गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रोजेक्ट स्थल या अधिक से अधिक तहसील मुख्यालय पर आयोजित की जाती है।

पर्यावरण लोक सुनवाई और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन

जैसा कि पहले हमने देखा, प्रदूषण की व्यापक समस्या का हल करने प्रदूषण नियंत्रण के कानूनों से भी आगे जाकर शुरू से ही प्रदूषण की रोकथाम का प्रयोजन है पर्यावरणीय सहमति प्रमाणपत्र। यह पर्यावरणीय

उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश

'सामाजिक न्याय केंद्र' द्वारा विविध मामलों में लोक सुनवाई के संदर्भ में गुजरात उच्च न्यायालय में केस किये गये थे. अलग-अलग समय पर किए गये इन केसों में गुजरात उच्च न्यायालय ने जो फैसले दिये, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

- जिस क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगने वाला हो, उस क्षेत्र के बहु प्रसारित अखबार में पर्यावरणीय लोक सुनवाई का सार्वजनिक समाचार दिया जाए। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दो से ज्यादा अखबारों में सार्वजनिक समाचार प्रकाशित करवाने की छूट है ताकि ज्यादा लोगों तक लोक-सुनवाई की जानकारी पहुँचे।
- गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण लोक-सुनवाई के सार्वजनिक समाचार की प्रतियां ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी या समस्त प्रभावित होने वाले लोगों को प्रदान करें।
- यह देखें कि प्रोजक्ट संबंधी कार्यकारी सारांश लोक-सुनवाई के कम से कम तीस दिन पहले विज्ञापन में निर्देशित स्थानों से उपलब्ध हो।
- एन्वयारन्मैंट इम्पेक्ट एसेसमैंट का सारांश गुजराती भाषा में संबंधित लोग मांग करें तो प्रदान किया जाए। सम्पूर्ण एन्वायरन्मैंट इम्पेक्ट एसेसमैंट की रिपोर्ट गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाजिब पैसे लेकर मांग करने के एक सप्ताह में दें। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्र सरकार के १३.७.९८ के पत्र का अनुसरण करे। स्वैच्छिक संस्थाओं की मांग के आधार पर उनको लोक-सुनवाई की प्रक्रिया का प्रतिवेदन दिया जाए।
- कुल सदस्यों के आधे सदस्य उपस्थित होंगे तभी लोक-सुनवाई मान्य गिनी जाएगी और इनमें से भीं (१) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अधिकारी (२) वन और पर्यावरण विभाग का अधिकारी, (३) कलेक्टर द्वारा नियुक्त वरिष्ठ एक नागरिक इस सुनवाई में उपस्थित होंगे तभी सुनवाई मान्य गिनी जाएगी।
- इससे संबंधित ब्यौरा मांगने वाले व्यक्ति को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए। पूरी रिपोर्ट की नकल भी उचित फीस लेकर मांगने वाले निवेदक को दी जानी चाहिए।
- केन्द्र सरकार की एन्वायरन्मैंट इम्पेक्ट एजेंसी को पर्यावरण लोक-सुनवाई की मिनिट्स भेजने के पंद्रह दिनों में जो व्यक्ति मिनिट्स की मांग करें उन्हें उचित फीस लेकर नकल देनी चाहिए।
- गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को केंद्र सरकार के १३.७.९८ के पत्र पर ध्यान देना चाहिए। उसमें लिखा है कि पर्यावरण स्वीकृति चाहने वाले उद्योगों की स्वीकृति विषयक प्रक्रिया का प्रतिवेदन मांग के आधार पर स्वैच्छिक संस्थाओं को दिया जाए।
- राज्य सरकार या केन्द्र सरकार ने जिसे भी पर्यावरण सहमति प्रमाण पत्र दिया हो, उसे जिन अखबारों में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोक-सुनवाई हेतु नोटिस दिया हो, उन अखबारों में पर्यावर्णीय स्वीकृति प्रमाणपत्र की सार्वजनिक सूचना देनी चाहिए।
- एक ही दिन में एक उद्योग की लोक-सुनवाई पूरी करनी जरूरी नहीं। प्रोजेक्ट के आकार और पर्यावरर्णीय परिस्थिति के पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार जिला समिति को लोक-सुनवाई के ध्येय दृष्टि में रखते हुए कितनी बार लोक सुनवाई करनी है, यह तय करना चाहिए।
- इस पत्र में सुझाया गया है कि पाइपलाइन, हाईवे और अधिक क्षेत्र में फैलने वाले उद्योग को एक या एक से अधिक स्थानों पर लोक-सुनवाई आयोजित करनी चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को ऐसे प्रोजेक्ट के लिए स्थान व संख्या तय करनी चाहिए। इसमें ध्यान रखा जाए कि प्रोजेक्ट का प्रकार लोगों के अनुकूल रहे ऐसे पास के स्थान को ध्यान में रखे।
- सूचित प्रोजेक्ट के बहुत समीप और किसी विशेष परिस्थिति में अधिक से अधिक तहसील मुख्यालय पर लोक सुनवाई रखी जाए, ताकि संभावित प्रभावित लोग अधिक संख्या में आ सकें।

सहमति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व स्थानीय लोगों और पर्यावरण विदों का क्या कहना है, यह सुनने के लिए पर्यावरणीय लोक सुनवाई को कानूनी स्वरूप दिया गया है। किसी भी प्रकल्प के पर्यावरण अध्यक्ष के बिना लोक सुनवाई आयोजित करने का कोई अर्थ नहीं। इतना ई.आइ.ए. (एन्वायरन्मैंट इम्पेक्ट एसेसमैंट) और ई.एम.पी. (एन्वायरन्मैंट मैनेजमैंट प्लान) करने के बाद ही यह लोक सुनवाई की जाए, ताकि अध्ययन में रहने वाली त्रुटियों और वास्तविकता के साथ के संबंधों का लोगों को ध्यान रहे। इस तरह, लोक सुनवाई से पूर्व ई.आइ. ए. (पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन) और ई.एम.पी. आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है। ई.आइ.ए. से पता लगता है कि इस प्रकल्प से क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे और उन दुष्प्रभावों को रोकने के लिए ई.एम.पी. तैयार करके लोगों के मध्य लाया जाता है। इससे प्रकल्प के पर्यावरणीय नफ़े-नुकसान के बारे में पारदर्शिता आए और उसमें विद्यमान त्रुटियां दूर करने के लिए लोग और पर्यावरणविदों द्वारा प्रयत्न किये जाएं। अर्थात् लोक सुनवाई लोकाभिमुखी बनी रहे और नये प्रकल्प के पर्यावरणीय प्रभावों को रोका जा सके।

पर्यावरणीय लोक सुनवाई की प्रक्रिया

विशाल बैठक कक्ष (सभागृह) में इस पर्यावरणीय लोक सुनवाई की कार्यवाही हाथ में ली जाती है। पहले उद्योग या प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि प्रोजेक्ट क्या है, उसके पर्यावरणीय प्रभाव क्या होंगे, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे आदि के बारे में अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। तदुपरांत पर्यावरणीय लोक सुनवाई का अध्यक्ष लोगों को अपनी प्रतिक्रिया व सुझावों हेतु आमंत्रित करता है। लोगों के प्रश्नों के उत्तर और पर्याप्त जानकारी प्रोजेक्ट कर्ता प्रदान करता है। सुनवाई में कलेक्टर समेत उपस्थित सदस्य भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद यह प्रक्रिया सम्पन्न होती है। लोगों की प्रस्तुतियों के अंत में पर्यावरणीय लोक सुनवाई समिति इस लोक सुनवाई प्रक्रिया का प्रतिवेदन (मिनिट्स) केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय को भेजती है।

- पर्यावरणीय लोक-सुनवाई प्रक्रिया का प्रतिवेदन (मिनिट्स) अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय से मिल सकता है।

- पर्यावरणीय लोक-सुनवाई सम्पन्न होने के बाद स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया जाता है। तदुपरांत इस की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के वन तथा पर्यावरण मंत्रालय को निवेदन करना पड़ता है।

- वन और पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में अलग-अलग शर्तों के आधार पर जो पर्यावरणीय स्वीकृति मांगी हो, उसे उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एक स्थानीय भाषा के और एक अंग्रेजी भाषा के अखबार को देनी अनिवार्य है।

- उद्योगों की स्थापना हेतु पर्यावरणीय लोक-सुनवाई एक आदर्श पद्धति है।

पर्यावर्णीय स्वीकृति प्रमाणपत्र किस प्रकार मिलता है?

जिला पर्यावरण समिति लोक सुनवाई का प्रयोजन केन्द्र सरकार को भेजती है। केन्द्र सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाणपत्र देने के लिए एक समिति गठित करता है, जो ई.आइ.ए.ए. (एन्वायरन्मैंट इम्पेक्ट एसेसमैंट एजेंसी) के नाम से जानी जाती है। यह समिति पूरी तरह से जांच-पड़ताल करके स्वीकृति प्रमाणपत्र देने या न देने के बारे में कई शर्तों के अधीन सिफारिश करती है। जरूरत पड़ने पर यह विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की समिति प्रोजेक्ट स्थल का अवलोकन भी करती है। कई बार वांछित सूचनाएं और स्पष्टीकरण भी मंगाती है परंतु आवेदन करने के ९० दिनों में उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाणपत्र संबंधी निर्णय करना पड़ता है।

लोक-सुनवाई और लोगों की तरफ से निर्णय

विभिन्न पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिनांक २-५-२००२ के दिन इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन की विरमगाम, सिद्धपुर पाइपलाइन हेतु दिनांक १५.५.२००२ को गोधरा जिले की हालोल तहसील में गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लि. और दिनांक २१-५-२००२ को बोरसद में गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की पर्यावरण लोक सुनवाई जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

पाइपलाइन प्रोजेक्ट में ज्यादातर जमीन की ऊपरी परत के उलट-पलट होने से जमीन की उर्वरता घटने और जमीन की चादरपट और

शेष पृष्ठ 28 पर

गतिविधियां

अधिकारों हेतु घुमंतू जातियों का संघर्ष

भारत में घुमंतू जातियां सबसे पिछड़े वर्ग में आती हैं। राजस्थान के अलवर जिले में वे अपने संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष कर रही हैं। 'घुमंतू विकास पंचायत' नामक एक संगठन गठित किया गया है, जो घुमंतू जातियों के अधिकारों हेतु संगठित रूप से लड़ाई लड़ रहा है।

'मुक्ति धारा' नामक स्वैच्छिक संस्था द्वारा श्री रतन कात्यायनी ने इस पंचायत के अधीन घुमंतू जातियों को संगठित करने का प्रयत्न किया है। घुमंतू जातियां स्थायी जीवन जीना चाहती हैं, परंतु उनको आवास, जीवन निर्वाह और सामाजिक स्वीकृति की जरूरत है।

भारत में लगभग २०० घुमंतू जातियां हैं, पर उनकी अलग से गणना न होने से निश्चित संख्या गिनना मुश्किल है। सन् १८७१ में अंग्रेजों ने अपराधी जाति कानून बनाया था। बाद में १९५२ में उनके स्थान पर आदतन अपराधी कानून बना। दोनों में अंतर इतना ही था कि नये कानून में व्यक्ति अपराधी माना जाता है, समाज नहीं। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग ५ करोड़ घुमंतू जातियों के लोग हैं, जिनके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं।

यह संगठन लगभग ५०,००० लोगों को सरकारी जमीन में बसाने का प्रयत्न कर रहा है। संगठन मानता है कि सरकार की जमीन उनकी ही जमीन है। यही उनका सूत्र है। 'मुक्ति धारा' ने प्रत्येक व्यक्ति को पहचान पत्र दिया है। वे गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के रूप में पंजीकृत हों, इसके लिए प्रयास हो रहे है। 'घुमंतू विकास पंचायत' द्वारा बामणवास के नजदीक एक गांव बसाया गया है। लंबे समय तक आंदोलन चलाने के पश्चात् घुमंतू जातियों के लोगों को इस गांव में जमीन के पट्टे मिले हैं।

पेयजल और आवास जैसी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएं, इसके लिए सरकार से मांग की गई है। विधवाओं को पेंशन मिले, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। उनके परंपरागत कौशल के आधार पर उनके जीवन निर्वाह का प्रबंध करने का भी पंचायत प्रयास कर रही है। घुमंतू जातियों को स्थायी जीवन प्रदान करने की तत्काल जरूरत है क्योंकि सतत अस्थायी जीवन जीने के परिणाम स्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी प्राथमिक आवश्यकताएँ भी उन्हें नहीं मिल पाती।

सूचना अधिकार के बारे में कार्यशाला

गुजरात युनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग, सामाजिक न्याय केन्द्र तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के मैत्री-मंच 'जनपथ' के संयुक्तावधान में सूचनाधिकार के बारे में दिनांक २०.९.२००२ को कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

इस कार्यशाला में कानूनविद, पत्रकार और सूचनाधिकार के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर संघर्षशील कार्मिकों ने भाग लिया था। कार्यशाला में भारत सरकार द्वारा संसद में सूचनाधिकार के विषय में जो मसौदा प्रस्तुत हो रहा है, उसकी विविध व्यवस्थाओं के विषय में चर्चा की गई। कार्यशाला में गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष श्री शंकरसिंह वाघेला और भाजपा की गुजरात इकाई के मीडिया विभाग के प्रमुख श्री अमल व्यास इस मसौदे के बारे में अपनी राजनीतिक विचारधारा प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित थे।

कार्यशाला में शिक्षा, स्वास्थ्य, बज़ट, कानून, प्रशासन और शासन के संदर्भ में सूचना के अधिकार के महत्त्व के बारे में ब्यौरेवार पत्र पढ़े गये और उन पर चर्चा की गई थी। मसौदे की व्यवस्थाओं का क्या अर्थ है, यह भी समझाया गया था। इसके अलावा यह भी विचार व्यक्त किया गया कि जब तक अंग्रेजों के द्वारा दाखिल सत्तावार गुप्तता नियम अमल में है तब तक सूचनाधिकार

संबंधी मसौदे की व्यवस्थाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः कार्यकर्ताओं ने सत्तावार गुप्तता कानून को वापिस लेने की मांग भी की थी।

इसके अलावा, इस कार्यशाला में सूचनाधिकार की चर्चा राष्ट्रीय संदर्भ में राजस्थान में किए गए प्रयोग के साथ की गई थी। फिर अलग-अलग राज्यों में सूचनाधिकार की स्थिति के बारे में भी चर्चा की गई थी। राजस्थान और गोवा में क्रमशः २००० और १९९७ में सूचनाधिकार के विषय में जो कानून बने थे, उनके सकारात्मक पक्षों पर चर्चा हुई थी। भारत सरकार ने २००० में सूचना स्वातंत्र्य का मसौदा संसद में रखा था। इस पर देश भर में व्यापक चर्चाएं अभी हो रही हैं। देश में अलग अलग संस्थाओं ने भी नमूने के रूप में सूचना स्वतंत्रता का मसौदा तैयार किया था।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क साधें: 'जनपथ', १३३८, खेजड़ेवाला वास, रेलवे क्रासिंग के पास, मीठाखली गांव, नटराज सिनेमा के पीछे, अहमदाबाद - ३८०००९.

आगामी कार्यक्रम

विस्थापन और पुनर्वास विषय पर परिसंवाद

'इंदिरा गांधी नेशनल ओपन युनिवर्सिटी के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास' प्रोजेक्ट द्वारा 'विस्थापन, पुनर्स्थापन और पुनर्वास की ज्वलंत समस्याओं के विषय में ६-७ फरवरी २००३ के मध्य एक राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया गया है। इसके लिए विश्व बैंक की तकनीकी एवं वित्तीय परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास के संबंधित वर्तमान समस्याओं के केस अध्ययनों - शोधों के आधार पर तैयार करके सैद्धांतिक पृष्ठभूमि निर्मित कराना है। मोटे तौर पर विस्थापन को विकास हेतु अनिवार्य समझा जाएगा, तभी ये अध्ययन उपयोगी होंगे।

परिसंवाद में निम्न विषयों को समेटा जाएगा:

(१) जल संसाधन: बहु उद्देशीय योजनाओं में पुनर्स्थापन और पुनर्वास का दुर्बल दायित्व बोध। प्रभावित लोगों की भागीदारी का अभाव।

(२) शहरी विकासपरक परियोजनाए: धंधा करने वाली इकाइयों या रिहायशी मकानों का स्थलांतरण।

(३) औद्योगिक परियोजनाएं: खनन कार्य तथा ताप विद्युत योजनाएँ जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होती हैं और लोगों को जीवन निर्वाह से वंचित करती हैं।

(४) ढांचागत सुविधाओं की परियोजनाएँ: विशेष रूप से रास्तों और रेलवे की परिवहन योजनाएँ।

अक्टूबर २००२ तक इस परिसंवाद हेतु लेखों का सारांश लिख भेजें। ई-मेल: sjain@ignou.ac.in अथवा mbala@ignou.ac.in

विश्व बैंक के संयुक्त सहयोग में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन युनिवर्सिटी ने जुलाई - २००१ से 'विस्थापन, पुनर्स्थापन और पुनर्वास का सहभागी संचालन' विषय पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम छः माह का है। इसमें कोई भी स्नातक भाग ले सकता है। विकासपरक परियोजनाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के बीच काम करने वाले कार्मिकों और संगठनों हेत यह अभ्यासक्रम बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें विस्थापन संबंधी कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट से सम्पर्क साधें: http://www.rronline.org.

संदर्भ सामग्री

ह्यूमन डेवलपमैन्ट रिपोर्ट - २००२

'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमैन्ट प्रोग्राम - यू.एन.डी.पी.) प्रतिवर्ष जो मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है, उस क्रम में यह अंतिम प्रतिवेदन है। इस प्रतिवेदन का शीर्षक 'विभाजित विश्व में लोकतंत्र की गहरी उतरती जड़ें' रखा गया है। यह प्रतिवेदन एक ऐसे मूलभूत विचार पर आधारित है कि सफल विकास हेतु अर्थशास्त्र जितने महत्त्व का है, उतनी ही राजनीति भी महत्त्वपूर्ण है। शासन जितना ज्यादा अच्छा और जितना ज्यादा सहभागिता वाला होगा, उतना ही मानव विकास अधिक होगा, यह बात इस प्रतिवेदन से साबित होती है। प्रतिवेदन की प्रस्तावना में उसके प्रशासक मार्क मेलोक ब्राउन सच ही लिखते हैं कि 'गरीबी को निरंतर घटाने के लिए समतापूर्ण वृद्धि जरूरी है, परंतु इसके लिए यह भी जरूरी है कि गरीबों के पास राजनीतिक सत्ता भी हो।' वे आगे कहते हैं कि 'मानव विकास के प्रयोजनों के साथ सुसंगत तरीके से इसे सिद्ध करने का श्रेष्ठ मार्ग समाज के सभी स्तरों पर लोकतांत्रिक शासन के स्वरूप को मजबूत और गहरा करने का है।'

इस प्रतिवेदन में पांच अध्याय हैं:

(१) मानव विकास की स्थिति और प्रगति।

(२) मानव विकास हेतु लोकतांत्रिक शासन।

(३) लोकतंत्र की खाद से लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना।

(४) संघर्ष रोकने और शांति स्थापित करने सुरक्षा का लोकतांत्रीकरण।

(५) वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना।

इसके अलावा प्रदिवेदन में कौफी अन्नान और ओंग सू की तथा ईरान के राष्ट्रपति सईद मुहम्मद खातमी समेत छः महानुभावों के संक्षिप्त लेख भी दिये गये हैं। प्रतिवेदन में ४१ ध्यानाकर्षक बॉक्स, १६ तालिका, ३६ आलेख और २ विशेष लेख छपे हैं। प्रतिवेदन के अंत में मानव विकास विषयक विभिन्न देशों के आंकड़ों पर आधारित ब्यौरे तो होते ही हैं। मानव विकास के क्षेत्र में काम करने वाले सभी विकासलक्ष्यी कार्यकर्ताओं के लिए यह प्रतिवेदन वाकई अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। कारण यह कि यह विकास के राजकीय पहलू को रोचक ढंग से उजागर करता है। विश्व में लोकतांत्रिक शासन का प्रसार बढ़ रहा है और प्रतिवेदन १४७ देशों के अध्ययन के आधार पर यों कहता है कि ८२ देश सर्वाधिक लोकतांत्रिक हैं, २६ देश अधिनायकवादी हैं और २९ देश बीच की स्थिति में है।

प्राप्ति स्थानः ओक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, वाइ.एम.सी.ए. लाइब्रेरी बिल्डिंग, जयसिंह रोड, नई दिल्ली - ११० ००१.

डिजास्टर एंड वल्नरेबिलिटी

गुजरात में भूकंप के समय 'सेवा' (स्वाश्रयी महिला संघ) द्वारा जो प्रत्युत्तर दिया गया उसका यह संक्षिप्त विवरण है। राहत, पुनर्वास और पुनरुत्थान की प्रक्रिया में जो अनुभव हुआ। उसका दस्तावेजीकरण करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में यह प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है। इस क्रम में दूसरे अन्य विवरण भी प्रकाशित होंगे। इसका उद्देश्य अन्य स्थानीय संगठनों को स्थानीय अनुभव के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यही नहीं, वरन् नीति और शोध कार्य में जो जुड़े हैं उन्हें भी इससे अवगत करना है। प्रभावित होने वालों में गरीबों के पुनर्वास के सवाल महिलाओं के साथ किस तरह संबंधित हैं, यह भी इस प्रतिवेदन से जाना जा सकता है।

यह प्रतिवेदन निम्न प्रश्नों का उत्तर देता है:

(१) 'सेवा' जैसे गरीब महिलाओं के विशाल सदस्य संख्या वाले संगठनों की आपदा का मुकाबला करने और पुनरुत्थान में क्या भूमिका है?

(२) उसकी भूमिका और अभिगम अन्य स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी स्वैच्छिक संस्थाओं से अलग कैसे हैं?

(३) प्रभावित होने वालों में भी जो सर्वाधिक गरीब है, उनकी आमदनी और सम्पत्ति को भूकंप किस तरह हानि पहुंचाता है?

(४) जीवन-निर्वाह के रूप में मिलने वाली राहत उनके पुनरुत्थान को किस तरह तीव्र बनाती हैं?

यह प्रतिवेदन यह देखने का अवसर देता है कि विपत्तियों के संदर्भ में स्त्रियां अधिक कमजोर किस तरह बन जाती हैं और वे किस तरह पुनरुत्थान की सर्वाधिक मुश्किल प्रक्रिया का नेतृत्व ले सकती हैं। महिलाओं ने स्वप्रयास से पुनर्वास के काम को किस तरह हाथ में लिया, यह इस प्रतिवेदन से जाना जा सकता है। क्या गुजरात में भूकंप राहत बेजोड़ थी? वह भविष्य के मानवतावादी कार्य पर किस तरह प्रभाव डालती है? गुजरात के भूकंप से कौन से महत्त्वपूर्ण सबक सीखने को मिलते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर भी इस प्रतिवेदन से प्राप्त होते हैं। इस प्रतिवेदन में ९ प्रकरण हैं: प्रस्तावना, पद्धति, 'सेवा' क्या है?, गुजरात में भूकंप, 'सेवा' के प्रत्युत्तर के कुल निष्कर्ष, 'रेड क्रॉस रोड' के सामने का मूल्यांकन, 'सेवा' के दस प्रश्नों का तुलनात्मक मूल्यांकन, निष्कर्ष, सिफारिश।

पृष्ठ: ४८, लेखक: टोनी वोक्स, प्रकाशक: डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टिट्यूट और 'सेवा', सम्पर्क साधें: डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टिट्यूट, ४११, साकार-५, नटराज सिनेमा के पीछे, आश्रम रोड, अहमदाबाद-३८०००९. फोन: ७९-६५८६२३४, ६५८३६०७.

स्त्री की आवाज

दलित महिला संगठन शक्ति की बात व्यक्त करने वाली यह पत्रिका 'बनासकांठा दलित संगठन' द्वारा प्रकाशित की जाती है। अहमदाबाद की संस्था 'बिहेवियेरल साइंस सेन्टर' (बी.एस.सी.) द्वारा इस संगठन का गठन हुआ है और इसमें दलित सदस्य हैं। दलित बहनों को केन्द्र में रख कर उन्हें संगठित करने का प्रयास बी.एस.सी. द्वारा हो रहा है। इस प्रयास के अंतर्गत बनासकांठा जिले की पांच तहसीलों - पालनपुर, वडगाम, धानेरा, वाव तथा थराद में दलित बहनों की विकासगाथा तथा संघर्ष गाथा को इस पत्रिका में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है।

यह पत्रिका इस तरह से दलित स्त्रियों की आवाज प्रस्तुत करती है। इसमें चित्र एवं उदाहरण देकर दलित स्त्रियों की शिक्षा हो, इस तरह जानकारी दी जाती है। अलग-अलग बचत एवं ऋण मंडलियों की कार्यवाही प्रस्तुत की जाती है। साथ ही इन मंडलियों द्वारा विविध सरकारी योजनाओं का लाभ कितनी बहनों को दिया गया, इसका ब्यौरा भी दिया जाता है। कभी गीत भी प्रकाशित किए जाते हैं, जो दलित बहनों की संघर्ष गाथा और संगठन गाथा को अभिव्यक्त करते हैं।

प्रति प्राप्त करने हेतु सम्पर्क साधें: बनासकांठा जिला दलित संगठन, सत्कार बिल्डिंग, जूसरी मंजिल, फौजी टावर के पीछे, ढूंढियावाड़ी, पालनपुर - ३८५००१, फोन: ०२७४२-६६१३५.

खान मजदूर

इस हिंदी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन विशेष रूप में खान मजदूरों में चेतना, जागृति तथा नये विचार उत्पन्न करने के प्रयास के रूप में किया जाता है। शोषण मुक्त समाज की स्थापना का अभियान चलाना इसका उद्देश्य है। इस पत्रिका में खान मजदूरों की स्थिति का चित्रण दिया जाता है, साथ ही उनकी आर्थिक-सामाजिक दशा सुधारने के प्रयासों का ब्यौरा भी दिया जाता है। खान-मजदूरों के स्वास्थ्य के बारे में, साथ ही सुरक्षा के बारे में आयोजित कार्यशालाओं के विवरण, सरकारी नीति-नियमों एवं कानूनों की सरलता से समझ तथा संगठनों की जानकारी इस पत्रिका के मुख्य अंग हैं।

प्रकाशक: ग्रामीण विकास विज्ञान समिति (ग्राविस), ३/४५८ मिल्कमैन कोलोनी, पाल रोड, जोधपुर-३४२००८ राजस्थान, फोन: ०२९१-२७४१३१७.

मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क

७० मिनट की यह वीडियो - सीडी एक नया संदेश देना चाहती है कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों या संसद की, जो कानून बनाती है,

दया पर जीने की जरूरत नही है। मतदाता सामूहिक तरीके से अपना खुद का कानून बना सकते हैं। हाल ही में चुनाव के उम्मीदवार के बारे में तमाम जानकारी रखने वाले मतदाताओं के अधिकार के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में जो विवाद उठा है, उसमें नागरिकों के कर्तृत्व पर यह वीडियो-सीडी प्रकाश डालती है।

दिनांक २.५.२००२ को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये फैसले में व्यक्त किया गया था कि मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी और विशेष रूप से अपराध के बारे में जानकारी रखने का अधिकार है। साथ ही उसकी आर्थिक सम्पत्ति और जिम्मेदारियों तथा शिक्षा के बारे में सूचना रखने का भी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को इस आदेश के परिपालन हेतु ६० दिनों का समय दिया था। तदनुसार चुनाव आयोग ने दिनांक २८.६.२००२ को सार्वजनिक सूचना प्रसारित की थी। परंतु राजनीतिक दल इस फैसले और आदेश को घोल कर पी गए और इसके विरुद्ध मसौदा पेश किया गया।

इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मुद्दा संसद बनाम सर्वोच्च न्यायालय नहीं, वास्तव में यह मतदाता के अधिकार का सवाल है। इस माहौल के बीच मुंबई में नागरिकों के एक समूह ने यह दर्शा दिया कि लोग अपने कानून का अमल कर सकते हैं। इस वीडियो सीडी में इसी बात को प्रस्तुत किया गया है। लोग सार्वजनिक सभा का आयोजन करें, उम्मीदवार को उसमें बुलायें और उसी से प्रश्न पूछ कर सूचनाएँ प्राप्त करें। फरवरी २००२ में महानगरपालिका के चुनाव के समय एक वार्ड में इस बारे में जो प्रयोग हुआ उसका विवरण इस वीडियो-सीडी में है। राजनीति को सुधारने की शुरूआत मतदाताओं को शिक्षित करने से होना चाहिए। यह वीडियो-सीडी इस रूप में मतदाताओं को ताकतवर बनाती है।

प्रति प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें: सुदीप्त सेन, १२०३, शिशिर टावर्स, यमुनानगर, ओशीवाड़ा, अंधेरी पश्चिम, मुंबई-४०००५३. फोन:०२२-६३९८६५३, ई-मेल: sudiptsen@yahoo.co.in

पृष्ठ 23 का शेष भाग

झरने के रूप में धुलाई होने की आशंका रहती है। इसके अलावा ग्रीन बैल्ट, रोजगार तथा जमीन के उचित व समय पर मुआवजे के सवाल मुख्य रहते हैं। आइ.ओ.सी. (इंडियन ऑयल कोरपोरेशन) और गैल (गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लि.) की पाइपलाइन का विस्तार होना था। पहले की पाइपलाइन की खुदाई का किसानों को उचित और समय पर मूल्य नहीं मिला था। इस समय उपस्थित किसानों ने इस के बारे में शिकायत की कि जब तक पिछली समस्या का समाधान न हो, तब तक नये काम की शुरूआत नहीं होगी। जिला कलेक्टर ने भी इसका समर्थन किया।

निजी जमीन की भांति पंचायत के कब्जे की गोचर, परती और खेती के अयोग्य जमीन में से भी पाइपलाइन गुजरती है। शिकायत के आधार पर संबंधित निजी जमीनों की भांति पंचायत के कब्जे की जमीनों को भी मुआवजा चुकाने की सिफारिश की गई। इसे पंचायतों के लिए बहुत अच्छी बात समझा जा सकता है।

इन तीनों लोक सुनवाइयों के अनुभव से ऐसा कहा जा सकता है कि जरूरत पड़ने पर इस तरह पृथक-पृथक जिले स्तर पर निर्णय लेने की बजाय राज्य स्तर पर एक सर्व सामान्य प्रस्ताव पारित कर देना उचित होगा। जिससे एक वाजिब मांग के लिए चर्चा परिचर्चा में नष्ट होते समय व शक्ति को निश्चय ही रोका जा सकेगा।

अंत में, दिनांक २१.५.२००२ को गुजरात स्टेट पेट्रोनेट हेतु आयोजित लोक सुनवाई में ई.आइ.ए.रिपोर्ट में व्यक्त तरीकों का मुद्दा विवादस्पद हो गया था। अध्ययन विवरण पुराना, अधूरा और अपर्याप्त विवरणों का होने से सामाजिक न्याय केंन्द्र के प्रतिनिधियों ने सभी का ध्यान आकृष्ट करके गलत विवरण तैयार करने वाली एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाने में डालने का आक्रोश भरा अनुरोध किया था।

पर्यावरणीय लोक सुनवाई यदि वाकई उचित तरीके से हाथ में ली जाये और लोगों को स्थापित होने वाली औद्योगिक परियोजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी मिले तो यह लोगों के लिए वाकई सार्थक सिद्ध होगी। पर्यावरणीय लोक सुनवाई को एक तरह का अनिवार्य कर्मकांड समझने के बजाय उद्योगों को समाज के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने और बाजार को अधिक लोक-केन्द्री बनाने की एक अनिवार्य प्रथा समझा जाए यह इस दृष्टि से अपेक्षणीय है।

विगत तीन माह के दौरान हमने निम्न प्रवृत्तियां हाथ में ली थी:

भूकंप ग्रसित क्षेत्रों में पुनर्वास

भचाउ की नगर योजना भुज के कलेक्टर कार्यालय को सौंप दी गई है। उसमें गटर व्यवस्था और जलनिकास संचालन संबंधित बातों का समावेश किया गया है। ये बातें महत्वपूर्ण समझी गई और नगर आयोजन के सलाहकारों को उभरे हुए मुद्दों की पड़ताल के बाद उनकी योजनाएँ सुधारने हेतु कहा गया।

गरीबों को मकानों के लिए इजाजत मिले, इसके लिए मकान के नमूना प्लान तैयार किये और १३ परिवारों को मंजूरी दी गई। मकान की अनुमति प्राप्त करने के लिए सरल गुजराती भाषा में मार्गदर्शिकाएँ तैयार की गई और एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित की गई। भचाउ में रहने वाले वादी आदिवासी समुदाय के लिए भी घर पूरे हो गये हैं।

विभिन्न कमजोर समूहों की बैठकें चालू रही तथा विकलांग लोगों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया गया। १४ विकलांग बालक और मंदबुद्धि बालक, माता-पिता व शिक्षकों से चर्चा के बाद स्थानीय शाला में फिर से दाखिल कराये गये। शौचालय की डिजाइन तय की गई तथा ३४ लकवाग्रसितों तथा अन्य विकलांगों की जरूरते उसमें ध्यान में रखी गई। १७ व्यक्तियों का विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया। १६ विकलांगों को जीवन-निर्वाह के अवसर उपलब्ध कराये गये। वे स्वयं कोई आर्थिक उद्यम संभाल सकते हैं या नहीं, ऐसे योग्यता-अध्ययन भी हाथ में लिये गए।

दलित महिला सरपंचों की क्षमता वृद्धि

दलित महिला सरपंचों को स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजवंदन भी नहीं करने दिया जाता है। 'दलित अधिकार अभियान' के प्रयासों से स्वतंत्रता दिवस पर थार रेगिस्तान प्रदेश में चार दलित महिला सरपंच ध्वज-वंदन कर सकीं। इस मुद्दे पर पहले तो समूह में चर्चा हुई और समुदाय के नेताओं की मंजूरी ली गई। इस प्रसंग हेतु सरकार और विशेष रूप से पुलिस ने कोई अनहोनी घटना घटित न होने के लिए पूरा सहयोग दिया। इसी भांति पंचायत संदर्भ केंद्रों द्वारा राजस्थान की ११ पंचायतों में तथा गुजरात में दो पंचायतों में दलित महिला सरपंच स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहरा सकी थीं। इस सिद्धि से मात्र महिलाओं में ही नहीं, पूरे समुदाय में भी आत्मविश्वास जगा है।

सामाजिक न्याय समितियों को सुदृढ़ बनाना

स्थानीय स्तर पर सामाजिक न्याय देने के लिए गुजरात में पंचायत कानून में तीनों स्तर की पंचायतों में सामाजिक न्याय समितियों की व्यवस्था की गई है। साबरकांठा में इन समितियों को सक्रिय बनाने के लिए ७ तहसीलों में समितियों के सदस्यों हेतु एक दिवसीय १० अभिमुखता शिविर आयोजित किये गए थे। इसके बाद १.९.२००२ के दिन एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इन समितियों के १५०० सदस्य और अध्यक्ष उपस्थित थे। सहभागियों ने तीनों ही स्तरों की पंचायतों में इन समितियों को सक्रिय बनाने का संकल्प किया था ताकि दलितों, महिलाओं, विकलांगों, सीमांत किसानों और कार्मिकों को सामाजिक न्याय मिले।

राजस्थान में सामाजिक न्याय समितियों को सक्रिय बनाने के लिए तीन ब्लॉकों की ५५ ग्राम पंचायतों की स्थिति के बारे में सूचनाएं एकत्रित की गई हैं। उनका विश्लेषण यह दर्शाता है कि विशेष रूप से दलितों और महिलाओं को यह पता नहीं कि वे लोग ऐसी किसी समिति के सदस्य

भी है। अधिकांश गांवों में समितियों में पांच सदस्यों के बजाय दो-तीन सदस्य ही होते हैं।

शासन के विषय में भावी व्यूहरचना निर्मित करने हेतु हितैषियों से विचार-विमर्श

गुजरात और राजस्थान दोनों में स्वशासन को प्रोत्साहन देने के लिए, हाथ में ली हुई प्रवृत्तियों के मूल्यांकन हेतु और बीच-बचाव की भावी व्यूहरचना गढ़ने के लिए विविध हितैषियों के साथ संवाद की प्रक्रिया हाथ में ली गई। गुजरात में साबरकांठा में हिम्मतनगर और अहमदाबाद में दो बैठकें हुई। स्वैच्छिक संस्थाओं, सरकार, पंचायतों के प्रतिनिधियों और मीडिया आदि ने बताया कि उनके बीच के संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है।

राजस्थान में जोधपुर, जालोर और जयपुर में तीन बैठकें हुई। 'उन्नति' की भावी भूमिका हेतु ये सुझाव दिये गए: नागरिकों की भूमिका और अधिकारों के बारे में उनकी शिक्षा देना नगरपालिकाओं और पंचायतों की क्षमता वृद्धि करना, समस्त हितैषियों में विकास संबंधी दृष्टिकोण का प्रसार-प्रचार, नीति के निर्माण में लोगों की सहभागिता तय करना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर समुदाय की सहभागिता से देखरेख रखाना।

पंचायतों के प्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि

गुजरात में १८० ग्राम पंचायतों में लगभग २००० चयनित प्रतिनिधियों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए एक दिन के कई अभिमुखता शिविर लगाये गए।

नगरपालिका की सेवाओं की स्थिति

अहमदाबाद जिले के साणंद नगर में हाथ में लिये गए रिपोर्ट कार्ड सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर 'हमारा नगर साणंद' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है। उसमें आधारभूत सेवाओं के संदर्भ में नागरिकों को कितना संतोष है यह बताया गया है। म्युनिसिपल काउंसलर और विभिन्न वार्ड़ों के नागरिकों के साथ शहर को अधिक अच्छा बनाने हेतु क्या प्रवृत्तियां हाथ में ली जाएं, इस बारे में चर्चाएँ हो रही हैं। इनमें से एक जरूरत प्राथमिकता के स्तर पर तय की गई और वह है भूमिगत गटर व्यवस्था।

अहमदाबाद जिले में धोलका नगर में प्राप्य ढांचागत सुविधाओं के बारे में एक अध्ययन किया गया और जरूरतों में प्राथमिकता तय करने हेतु विचार-विमर्श किया गया। सेवाओं के आयोजन, क्रियान्वयन, देखरेख और निभाने में समुदाय की भागीदारी तय करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

राजस्थान में जोधपुर जिले के बिलाड़ा नगर में वर्तमान समस्याओं का कल्याणकारी दृष्टि से विश्लेषण किया गया और वार्ड के अनुसार जरूरतों में प्राथमिकता तय की गई है। मुख्य समस्या आयोजन विहीन खराब गटर व्यवस्था के कारण सफाई की है। ग्रामीण ढंग के आवासीय इलाकों में मुख्य समस्या बिजली की अनियमित आपूर्ति की है। विविध शुभचिंतकों के मध्य आगामी तीन माह के दौरान एक संवाद आयोजित किया जाएगा, जिसमें समस्या के समाधान के विविध विकल्पों के बारे में सोचा जाएगा। नगर में नागरिक समाज का आधार विस्तृत करने के लिए नागरिकों के नेता पहचान लिये गए हैं। उनकी क्षमतावृद्धि के लिए उनकी जरूरतों को पहचाना जा रहा है। तब वे नगर की समस्याओं को ढूंढने में सक्षम होंगे। जरूरतों के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राजस्थान में स्थानीय प्रयासों के सहयोग कार्यक्रम का मूल्यांकन

'उन्नति' पश्चिमि राजस्थान में छः बरसों से पंचायतों और समुदाय आधारित संगठनों द्वारा स्थानीय सहभागिता और अधिकारिता को प्रोत्साहन देने का काम करती है। अक्टूबर-१९९९ से सितंबर २००२ का दूसरा चरण पूरा होने पर कार्यक्रम का परिणाम ज्ञात करने तथा हाथ में ली हुई प्रवृत्तियों का प्रभाव ज्ञात करने के लिए एक मूल्यांकन हाथ में लिया गया।

यह तीन स्तरों पर हाथ में लिया गया। प्रथम चरण पर समुदाय स्तर पर सहभागी समुदाय-आधारित निर्देशांकों के द्वारा प्रभाव मापा गया। दूसरे चरण में क्षेत्रीय साक्षात्कार तथा विविध हितैषियों के साथ चर्चा द्वारा बाह्य मूल्याकंन हाथ में लिया गया। तीसरे चरण में विमर्श सभा द्वारा व्यूहात्मक समीक्षा की गई और भावी आयोजन हाथ में लिया गया।

इस प्रक्रिया का विश्लेषण यह दर्शाता है कि स्वैच्छिक संस्थाओं की क्षमता-वृद्धि के क्षेत्र में सतत, समयानुकूल और पर्याप्त समर्थन दिया गया है। परंतु उनकी अपेक्षा बहुत बढ़ी है और यह चिंता का विषय है। समुदाय के संगठन के क्षेत्र में ऐसा लगा कि प्रदत्त सहयोग से समुदाय स्वयमेव अपने सवाल उठाने लगा है। परंतु अभी 'दलित अधिकार अभियान' स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा चलता मालूम होता है। उसमें समुदाय का स्वामित्व खड़ा हो, इसके लिए उभरने वाले नेताओं को मजबूत बनाने की जरूरत है। साथ ही, इस आंदोलन ने भेदभाव और अन्य अत्याचारों के जो सवाल उठाये हैं, उनसे आगे जाने की जरूरत है और इन दलित समूहों के विरुद्ध विचारधारा के बारे में सोचने की जरूरत है। यह विचारधारा ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था की विचारधारा से अलग ही हो, क्योंकि उसने तो दलितों को सदियों से अलग ही किया हुआ।

दृष्टिकोण निर्माण हेतु प्रशिक्षण

सामाजिक विकास के दृष्टिकोण के बारे में 'आगाखां ग्राम समर्थन कार्यक्रम' (ए.के.आर.एस.पी.) के सहयोग में २९ जुलाई से १ अगस्त के दौरान कच्छ में 'दुष्काल सुरक्षा परियोजना' (डी.डी.पी.) में शामिल सहभागी संगठनों के लिए एक अभिमुखता प्रशिक्षण रखा गया। भारत सरकार और नाबार्ड डी.पी.पी. को सहयोग देता है। १९ स्थानीय संगठनों के २४ कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण भारत में सामाजिक विकास का इतिहास और गरीबी, सहभागिता, स्त्री-पुरुष भेदभाव, निर्बलता विश्लेषण, चिरंतनता और प्रशिक्षण की एवं मार्गदर्शन की भूमिका जैसे मुद्दों को समेटा गया। डी.पी.पी. हेतु क्षमता वृद्धि करने वाली मुख्य संस्था के बतौर ए.के.आर.एस.पी. काम करती है और उसके सहयोग से प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया गया था।

जीवन निर्वाह के विषय में योग्यता अध्ययन

गुजरात व राजस्थान में २००२-०३ हेतु गांवों में लघु उद्यम विकास कार्यक्रम हेतु क्रिश्चियन चिल्ड्रन फंड (सी.सी.एफ.) द्वारा जिन छः परियोजनाओं को सहयोग दिया जाना है उनके लिए जीवन निर्वाह समर्थन का योग्यता अध्ययन हाथ में लिया गया।

भूकंप के समय ओक्सफाम इंटरनेशनल के प्रतिभाव की समीक्षा

गुजरात में भूकंप के बाद ओक्सफाम इंटरनेशनल द्वारा किये गए संयुक्त प्रतिभाव के मूल्यांकन के लिए काम दिया गया। संकलन में शामिल ओक्सफाम के साथियों तथा सहभागियों से साक्षात्कार लिया गया। सूचनाएं एकत्र करने के बाद मुंबई में २०-२१ अगस्त के दौरान एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसका एक प्रतिवेदन तैयार कराया गया है।

'क्षमता' - विकलांगों हेतु अवरोध मुक्त वातावरण उत्पन्न करने की योजना

सभ्य समाज में जागरूकता द्वारा विकलांगों हेतु अवरोध मुक्त वातावरण खड़ा करने की योजना हैंडिकेप इंटरनेशनल के सहयोग से अप्रैल २००२ से 'क्षमता' नाम से शुरू की गई है। स्वैच्छिक संस्थाएँ अपने कार्यक्रमों में विकलांगता का समावेश करें, इसके लिए उनके प्रबंधकों को अभिमुख करने की व्यूहरचना के एक भाग रूप में 'उन्नति' के कार्यकर्ताओं हेतु ३०-३१ अगस्त के मध्य एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया।

'चरखा' की प्रवृत्तियाँ

पीछले तीन माह के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जल, महिला नेतृत्व, कौमी एकता, असंगठित मजदूरों और जैविक खेती के बारे में १७ लेख तैयार किए। इस वर्ष कौमी एकता विषय पर लेखन-स्पर्धा रखी गई। उसमें ५० स्वैच्छिक संस्थाओं से ८१ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नवंबर २००२ के मध्य पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। स्वैच्छिक संस्थाओं और पत्रकारों के मध्य संबंध स्थापित करने हेतु व्यावसायिक स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षण और जैविक खेती के बारे में तीन बैठकें हुई। तीन स्वैच्छिक हेतु लेखन-कौशल कार्यशालाएँ आयोजित की गई। उनमें ७७ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उनमें से १५ कार्यकर्ताओं ने लेखन-स्पर्धा में भाग लिया।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संस्थान

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-6746145, 6733296 फैक्सः 079-6743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

रूपांकनः रमेश पटेल **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

मुद्रकः कलरमैन ऑफसेट, सेलर, आगमन, मयूर कॉलोनी के पास, मीठाखळी छः रास्ता, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380 009, फोन नं. 6431405

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।